

[Shri Eduard_o Faleiro]

transmission by foreign agencies such as Reuter, A.P., Tass and Tanjing because the transmission lines of UNI and PTI with which these agencies have distribution arrangements did not function. The most affected were the small newspapers which depend almost entirely on news agency services. Also the reading public all over the country was deprived of yesterday's news. The reason for the strike is the exclusion of news agencies from the purview of the Palekar Tribunal's proposals. I request the Government to make a statement in this regard and particularly to bring the news agencies also within the purview of the Palekar Tribunal's proposals.

13.54 hrs.

DISCUSSION ON THE TWENTY FIFTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES.—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Yogendra Makwana on the 19th March, 1980, namely:

"That this House do consider the Twenty-fifth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1977-78 laid on the Table of the House on the 1st February, 1980."

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): Mr. Deputy-Speaker, Sir, while we are discussing the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1977-78, I find that the concerned Minister is not present in the House.

THE MINISTER OF STATE IN
THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
AND DEPARTMENT OF PARLIA-

MENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): I am here.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Then, I hope, you will note down the points that I am going to raise.

Yesterday, many hon. Members raised a number of questions with regard to the upliftment of the scheduled castes and scheduled tribes and also suggested a separate Ministry for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But I differ from the hon. Member on the point he made, on one ground. When the Ministries at the Centre are taking responsibility for the development of SCs and STs., if a separate Ministry is given, definitely the other Ministries will shift the responsibility to that Ministry, who alone cannot deliver the goods.

The problems of these people have been discussed a number of times, and the report of the Commissioner which we are discussing is the 25th report. I am very sorry to say that the Action Taken Report on the present report is not here. So, we are ignorant of what has been done, and what has to be done in future. We are only inviting the attention of the Government, about what was to be done in future.

Upto the end of the 4th Plan, the allocations for these people, especially in the tribal areas, were very meagre. Only in the 5th Plan the new criteria and new plan has been adopted.

My friend the Minister mentioned the name of Shrimati Indira Gandhi, and said that she had initiated a new scheme, for the tribals. There was a lot of controversy on this, and it was asked why her name should be mentioned. But in the matter of development of these people and these areas, the approach of the leader is important. Only before the end of the 5th Plan the new scheme of allocations and new plan under the leadership of our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi were adopted. Then, what is wrong in mentioning her name?

Under the rolling plan, no action to go ahead with these sub-plans was taken. However, the discussion which has been going on, at different levels, has been finalized now. Therefore, I am not raising any controversy about it.

Now about the atrocities. Only those atrocities have been discussed which have been reported. But there are unreported atrocities going on in the forests against the tribals. The incidents have not been discussed here, because they have not been reported in the papers. It is very difficult to report all the atrocities on the tribals. The tribals in the forests have been deprived of their rights. Because of the atrocities committed by people going there, a sense of partisanism is developing in the minds of the tribals, and there is unrest. What are the reasons for this unrest? The Constitution, and especially its 5th Schedule, has given a number of responsibilities to the President and the Governors, i.e., to the Centre and the States. But what has happened to this provision? The implementation part has been lagging behind. There is no proper administrative set up which alone can benefit these people.

You give any amount of allocation, you adopt any approach, you adopt any attitude for the development of the tribals, nothing will be done unless there is a change in the administrative set up. The State Governments shift the responsibility on the Central Government and the Central Government shifts the responsibility on the State Governments. It is unfortunate for the development of this area. I ask the government that there should be a central legislation for administration of the tribal area.

Plan allocation has been increased and the government has taken a decision to earmark a certain amount for the development of the tribals, but if you go deep into the budget you will find that sufficient money has not been earmarked for the development of the tribals. If you see the States' budget you will find that more allocation has

been provided for the tribal areas, but if you go deep into the budget you will find that the money that has been provided for bigger projects which are not meant for the tribals. If sufficient money is not provided for the development of the tribals, then the economic development and the upliftment of the tribals will be affected. The Hon'ble Prime Minister has recently written a letter to the State Governments regarding development of the tribals.

The Central Ministries have not yet identified the problem of the tribal areas. They have also not allocated money for their development. If they are not able to earmark fund for their development, the State Governments will think that the Government of India is simply giving the direction to the State Governments but they are not following the decision which has been taken by them for this area.

The personnel policy, the excise policy and the forest policy should be revived and a review should be done at the highest level by which the exploitation of the tribals due to wrong policies will be stopped. I urge upon the hon. Minister to call a meeting of the tribal MPs of the different States for a detailed discussion so that everybody should be able to put forth his view point and then some solution could be found out by which their problems could be solved. The Ministry of Home Affairs should also arrange a meeting with all the Ministries at the Centre for a detailed discussion for their problems, because there is not enough time for MPs to discuss all these matters in the House.

I hope the hon. Minister will take into account all the points and will adopt a new approach for tribal development. With these words, I thank you.

SHRI R. R. BHOLE (Bombay South Central): It is now an admitted fact that the people belonging to

[Shri R. R. Bhole]

Scheduled Castes and Scheduled Tribes are suffering hardships and atrocities and discriminations on account of the fact that they, in the hierarchy of the caste system, are the lowest of the low. They have suffered from the beginning; they had suffered during the time of the British; they are suffering even today, after thirty years of Independence. The Constitution guarantees their fundamental rights and their civil rights and liberties. They have also been guaranteed that they would be treated in every respect and in every field as equals to the other citizens of India. But unfortunately till now experience shows that they suffer more or less to the same extent as they were suffering during the British period. It is true that after we attained Independence crores of rupees have been spent for their education and for their economic upliftment, for giving them employment and so on. Attempts were also made to give them land and services and give them also representation in the different legislatures, including Parliament. Because of these safeguards the people belonging to the Scheduled Castes and Tribes did get something but it is unfortunate. That we have still to give many things to these poorer classes. What is the reason that, after thirty years of independence, after provision of safeguards in the Constitution, after attempts have been made by hon. Ministers in the Centre and in the States, they still suffer? The reason is not ar to find; the reason is: in the Hindu religion there is sanction for the castes system.

Under the Constitution untouchability has been abolished, but the caste system is not abolished. Even if there was a provision in the Constitution that caste is abolished caste. I believe, has engrained itself in the blood of every caste Hindu so much that from birth to death he will never be able to shun that caste element. The reason is not far too seek.

In the hierarchy of the caste, each caste claims to be superior to the other. Even amongst the Scheduled castes the lowest of the low castes think that they are superior to the castes which are still lower. That is the reason that everybody wants to be in the place although he gets kicks from above, but because he can give kicks down below, therefore, he wants to be there. The caste system, therefore, perhaps, will never be abolished.

I was on the point that the Scheduled Castes are still suffering in spite of the safeguards, in spite of the Centre and states attempting to do something. When a direction goes from the Centre to the Secretariat, when an order goes from the State Government to the Secretariat, the persons who execute those orders, the bureaucrats who execute those orders also, suffer from the caste mentality. That is the reason why there is a conflict of interests between the interest of the Scheduled Castes and Tribes, and that of the bureaucrats who are mostly caste Hindus, when they are ordered to execute the orders of the Centre, the orders of the Central Government, orders of the Minister in the State, orders of the State Government, they do not implement to the extent as they were expected to do it. Whenever there is a case of a Scheduled Caste man, whenever a piece of land has to be given to a Scheduled Caste man or a Scheduled Tribe, whenever there is some constitutional benefit to be given to the members of the Scheduled Caste men or Scheduled Tribes and if the officer, if the bureaucrat in whose hands it is to give that, he always has a mentality of looking at the Scheduled Caste person who is to be benefited, with prejudice. He always thinks and plans that it should not be given to him, it should be given to somebody else or a caste Hindu. He is practically full with this mental prejudice. That is the reason Scheduled Castes are suffering in

every walk of life. Take the case of violence. Take the case of criminal cases. Suppose violence is committed on the Harijans, the Scheduled Tribes, in a remote village, they cannot go to police because they are poor and because they are helpless. If he is courageous enough to go to the police, the police man if he is a Scheduled Caste man, will record his complaint. If he is a non-Scheduled Caste man and if the alleged accused are caste Hindu people, then the officer of the Police Station has an intuition because of his caste not to record the first information.

There have been hundreds of cases where the information of violence against the scheduled castes and scheduled tribes and the poorer agriculturists in the villages have either been not recorded or recorded in a way which would help the culprits. That is unfortunately the case on account of the caste prejudices. This is also the case while collecting evidence. The evidence has to be given by the caste Hindus. Maybe many times evidence has to be given by the scheduled caste witnesses. The scheduled caste people are in a minority. They are threatened and told not to give any evidence against the caste Hindu culprits. The caste Hindu witnesses also do not assist the culprits so that they can be booked properly for the crimes. That is why in spite of the provisions of safeguard in the Constitution and in spite of the goodwill shown by the Central Government as well as the State Governments, these safeguards are not implemented, the bureaucrats are full of caste feelings and feelings of prejudice against the scheduled caste beneficiaries.

The report of the Commissioner has given many instances of atrocities and sufferings of these people, including the disturbances in Marathwada region of Maharashtra State. They have also mentioned the instance of violence in Villupuram, in South Arcot district. They have also referred to the police firing in 1978 at various places

in Agra. The murder of scheduled caste persons in Dharmapur village in Bihar State and other places are also mentioned by the Commissioner in large numbers. Such are the conditions of these poor people. There are many good things in the report. I know the Government would try to do many good things and even implement the recommendations made in the report but the bureaucrats will not allow them to do so. Therefore, Government must consider recruiting bureaucrats with a proper attitude towards these weaker sections. For that purpose, they will have to recruit many people from the weaker sections in Government services and elsewhere. If that is done, perhaps they will succeed to a larger extent. I must mention one more fact the Government has created a Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission. But at present, it has no constitutional status. A Bill was introduced by the last Government—Constitution Forty-sixth Amendment Bill—but unfortunately it was not passed. It would be better if our Government brings that Bill, giving constitutional status to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission. That is necessary. I do not want to add anything more to the points already mentioned.

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pol-lachi): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for having called me to take part in the discussions.

This is the 25th report of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes' Commission. The very same House had already discussed 24 reports of that Commission. Every year in every report, we could see repeated incidents, repeated recommendations and repeated provisions but nothing has been done so far. As the previous speaker has stated, the conditions remain the same. No drastic change has taken place so far.

[Shri C. T. Dhandapani]

This Commission was constituted under Article 338. So, it has a statutory authority. But the Commission itself finds some difficulty in getting some information either from the Bureau of Public Enterprises or from the State Governments. I would ask the Government as to what action they propose to take against those persons who have not placed any material at the disposal of this Commission, which is constituted in accordance with the Constitution of India. This Commission's job is not an ordinary one. They are doing a commendable job. Therefore, strict action should be taken against erring persons or officials who are against the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Our country is a democratic country. Democracy consists of two things—one is liberty and the other is equality. In the absence of one of the two, democracy cannot function and it has no meaning. The equality is virtually dead in the society despite the fact that we call this society as democratic.

I would quote a passage from the speech of Dr. Ambedkar in which he has expressed sentiments about liberty and equality:

“Political democracy cannot last unless it lies at the base of social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognises liberty, equality and fraternity, which are not treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy.”

So, according to me, in the absence of equality, there is no meaning to democracy. Yet, we call this country a democratic country. If we really want to keep up this system, we must see that equality is preserved at any cost. For instance, Dr. Radhakrishnan has said:

“Poor people wander about; find no work, no wages and starve, whose lives are a continual source of sore affliction and pinching poverty. They cannot be proud of the Constitution or its law.”

This is the condition of the poor people.

I want to say something about the harijans. Their condition is pitiable and their plight unmentionable. Their condition in the village is worse than that of a beast. They live in remote villages and they get no jobs. According to the date of the Planning Commission, some of the harijans who live in UP or Tamil Nadu get only Rs. 10 to 20 per month. With this small amount they have to buy all the materials they need. After 30 years of independence they could not get even a square meal a day. In some cases, the harijan families cook their gruel—I will not call it food—for a complete week. That does not mean that he is getting a large quantity of rice or food articles. He could not get all these things. They are starving for food. This is the position. One day or the other this volcano will certainly erupt and it will pose a danger to the very base of democracy.

Coming to caste system, some hon. Member said that atrocities are perpetrated on the harijans in the northern State because there is no Periar there. Really social reformation is a good thing, but we, politicians, fail to follow them. During the elections we give tall promises, which are not implemented. Whether the present Government is in full agreement with this Report or not, we politicians belonging to all parties, when we go to platforms, particularly in the harijan cheris of the villages, we give a lot of promises, but we fail to implement those promises when we come to power. This is the sad state of affairs in our society.

Even the Planning Commission has made the following observation:

“The prevalence of poverty and inequality virtually unchanged over

the years can be seen most clearly in the conditions of life of the most disadvantaged groups in our society, namely, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is a regular feature."

Similar sentiments are expressed many times, probably in all reports of the Planning Commission. But what have we done so far in all fields? For example, take food. Non-availability of food is one thing. Even if they get food, there is no nutrition. According to scientists, if children do not have nutritious food, their brain will not grow and they will be below the average. This is the view of scientists. It is mentioned here that in 1974-78 Rs. 63.83 crores has been allotted for the health programme of harijans and in 1978-83 Rs. 115.5 crores.

I want to ask the Government: Can the Government or any officer of the Government say that a separate health centre is run for the benefit of Harijans or Adivasis? If at all they want to do, they are sending some mobile vans to the hill areas. There are no separate units. There are no separate hospitals. There are some hospitals for particular diseases, but not general hospitals. I want to know where this money has gone. The Government should spell this out clearly.

Secondly, about literacy, and merit everybody has a right to talk about anything. Big people and even big magazines are also writing about it. If you go to the village, you will find that children go to elementary schools. A boy studying in the First class will be sitting in one corner, and the boy studying in the Second class will be sitting in another corner in the same room. Similarly, the Third, the Fourth and the Fifth classes boys sit in the same room. All classes will be conducted in one room only. When a teacher teaches something to a Fifth class boy, it will be a disturbance to the First class boy. Similarly, when a

teacher teaches the First class boys, it will be heard by the Fifth class boys. This way they learn nothing. If at all they learn, it is nothing. Under these conditions their education is conducted. But at the same time, the affluent people—I do not want to name anybody—put their children in the public schools spending Rs. 100/- or Rs. 200/- or Rs. 300/- or even Rs. 500/- a month. So, how can we compare them with the children studying in the village under such conditions as I mentioned? Who is responsible for all this? Is God responsible or are the rulers responsible? I do not know who is responsible. If the son of a Scheduled Castes man comes to higher classes he is not in a position to buy food, he is not in a position to take his food regularly. But at the same time, he cannot also fulfil the aspirations of the parents. For example, a boy goes to the school. The parents of that boy belonging to Scheduled Castes or Harijans, who earn Rs. 20/- per month have to provide food for him, they have to provide clothes for him, and they have to provide books for him. We may say that we are distributing free books, we are distributing free meals and everything. All that is on paper, but it is not properly distributed in all the States. I can challenge this. In all the States it is not properly distributed. The food also is not being distributed properly. If at all they give, they give a little, but it is not sufficient even for a boy. This is the state of affairs. He cannot go in for higher studies. The simple reason is that the parents will ask the boy to discontinue the studies and go for a job to earn Rs. 5/- per month which will be an additional income for the parents. That is why the parents ask him not to study. Even if he goes to college for higher studies, after that he will not get a job. Wherever he goes for a job he will be humiliated. Therefore, the parents knowing all this fully, have asked their children not to study. So, there must be a change. I do not know what the Gov-

[Shri C. T. Dhandapani]

ernment is going to do in respect of their post-graduate studies in the universities. For post-graduate studies there is no reservation. What I have to say is mentioned on page 16 of the Report, and I quote:

"It is gratifying that most of the educational and technical institutions including the I. I. Ts. and Medical Colleges have provided for reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes at the graduate level. However, at post-graduate level, much still remains to be done. Most of State Governments/Union Territory Administrations have refused to make any reservation of seats for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Post-graduate medical courses. The Union Ministry of Health have also expressed the view that they are not in favour of any reservation or relaxation for candidates belonging to these communities for admission to Post-graduate medical courses, on the plea that it would not be proper to lower the standard of Post-graduate medical education which is a specialised training in any selected branch of medicine and plays a prominent role in medical care."

How are these post-graduate students being selected? Merely on recommendations. How are the marks given? If I know a doctor, I will get more marks. A student who gets average marks in all the classes, suddenly gets 80 or 85 per cent in the final year. He gets a gold medal and admission to post-graduate studies. Can you say how many post-graduates, specialists and doctors are efficient and useful to society in the whole of India? Only very few. So, I would say that there should not be any discrimination in the matter of post-graduate admission.

Scholarships are not being properly distributed. For example, in

my town of Coimbatore, there is the Government College of Technology, where the Principal always keeps the scholarships with him, never distributes them. When the students go on strike and picketing, the local Collector always intervenes.

Further, it has been laid down that only two children from a family are eligible to scholarship. If a Harijan has four or five children, what happens to the rest? This should be looked into immediately.

The carry forward of the promotion quota is a problem which has to be looked into because it has yet to be decided by many Governments.

About Judges, it has been said in the Report that the latest information obtained indicates that out of 350 High Court Judges in the country, only four Judges belong to the scheduled castes, and none to the scheduled tribes. They talk of article 335 and efficiency in the administration. We know the efficiency of many of the Judges. I do not want to explain here how the courts are being conducted. We also read in the newspapers that many Judges have been prosecuted for taking bribes. Of course, they do not belong to the scheduled castes. So, a separate cell should be instituted for this purpose.

The DMK Government of Tamil Nadu brought forward an amendment to the Tamil Nadu Hindu Religious & Charitable Endowment Act, 1959, on the basis of the recommendations of the Committee on Untouchability & the Economic and Educational Development of the Scheduled Castes. That very same idea was mooted by the late Sir C. P. Ramaswamy Aiyar. Dr. C. P. Ramaswamy Iyer himself has stated, when he was the Chairman of the Hindu Religious Endowments Commission (1960-62) that there was a crying need for reform in this direction since the hereditary principle in the

appointment of Archakas had led to grave malpractices practically destroying the sanctity of worship in various religious institutions. This came before the Supreme Court. One lady had filed a case against the State Government. The object of the bill was that even a Scheduled Caste man, not Scheduled castes alone, can become an Archaka in a particular temple; but they gave some background. What was it? In the year 1969, the Committee on Untouchability, Economic and educational development of the Scheduled Castes has suggested in its Report that the hereditary priesthood in the Hindu society should be abolished, that the system can be replaced by an ecclesiastical organisation of men, possessing the requisite qualifications, who may be trained in recognised institutions in priesthood and that the line should be open to all candidates irrespective of caste, creed or race. There were five judges on the bench, viz., Shri Sikri, Chief Justice, Shri A. N. Grover, Shri A. N. Ray, Shri D. G. Palekar and Shri M. H. Baig, and they enquired into the matter and they held that it violates the principle of Agamas. I would like to quote what was argued during the trial, which quote in Page 826 Supreme Court Report Vol. III, 1972:

"Dr. Kane has quoted the Brahmapurana on the topic of Punah pratishtha (reconsecration of images in temples) at page 904, of his History of Dharmashastra referred to above. The Brahmapurana says that when an image is broken into two or is reduced to particles, is burnt, is removed from its pedestal, is insulted, has ceased to be worshipped, is touched by beasts like donkeys or falls on impure ground or is worshipped with mantras of other deities or is rendered impure by the touch of outcastes..."

That means, the Scheduled Castes people also should not touch it. I want to clear one doubt. As far as

the DMK is concerned, we are not against any individual, we are against only the order. As far as I am concerned, I am not against any particular community or individual, because I love them all. But at the same time, I want to say that this introduction of Bill is not to oust somebody from a particular job and induct somebody else there. The DMK is working for the uplift of the down-trodden. In these days, if we talked about the DK's Self Respect Movement, which was stated by EVR Periyar, in Tamil Nadu, nobody would be knowing it. If you call us Parayas and Pallas party, the people would be knowing. Many of the Pallas and Parayas, who are Scheduled Castes, are in the DMK. But at the same time the DMK Government and our sounders of our movement fought for the cause of Scheduled Caste people. Mahatma Gandhi gave a single name to Scheduled Caste people as Harijans. But our party, our ancestors, passed a resolution in the Madras State Assembly in 1924 that all Scheduled Caste people, Paryas and Palas—there are six sects—will be named as Dravidians. Even now, the name is there. They have done that.

Why I am saying about this is that this legislation is being struck down by the Supreme Court quoting the spirit of the Agamas and the principles of Agamas. I am not a very knowledgeable person about the Agamas, the person who knows about the Agamas, they should be allowed to go inside the temple and perform puja.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Will you kindly give the citation of the Supreme Court decision?

SHRI C. T. DHANDAPANI: It is there. I will give you.

You also must have read about six months back that our Shankara-

[Shri C. T. Dhandapani]

charya of Tamil Nadu distributed certificates to 13 students in Kanyakumari district and out of 13 students, 3 students are Scheduled Caste boys. They have been trained. When these 10 students are eligible to enter the temple and perform puja, why not these 3 students? So, I would request the hon. Minister to do something in the matter.

Then, in Tamil Nadu, we have appointed Temple Trustees during the DMK regime. Each temple has appointed 5 trustees. Out of 5 trustees, we appoint 1 Scheduled Caste trustee. We made it compulsory. In the same way, about the Harijan Housing Corporation, the DMK Government Dr. Karunanidhi himself initiated the scheme and out of our own Exchequer, we invested Rs. 13 crores and constructed 35,000 houses and we distributed those houses to the Harijans at free of cost.

Something is said about the inter-caste marriages. In this respect, I want to make a suggestion here. There should be a central legislation for these people who are married from other castes. When a boy marries a Harijan girl or a girl marries a Harijan boy, he should be given some prominence. Some incentive should be given. Under the DMK regime, a gold medal weighing about 1½ sovereigns was given and some cash award was also given to them. A sum of Rs. 15,000 was also given free of interest for starting some Business.

Before I conclude, I want to make another important point. There was the talk about the dissolution of the State Assemblies. Nine State Assemblies were dissolved by the Government for various reasons. I know, Madam Prime Minister was so touchy about one important issue. That is about the Forty-fifth Constitution Amendment Bill which was brought before the

House and passed by the House and which is to be ratified by 11 States of this country. When this Bill was sent to Tamil Nadu for ratification, the Tamil Nadu Assembly was very much in session. The Chief Minister himself failed to introduce the Bill and pass the Bill, ratifying the Forty-fifth Constitution Amendment Bill. He might have forgotten because he has got various activities—whether he sleeps or not I do not know. He has got many things to do because he has got extra eccentric activities and side attractions. The members belonging to Congress and DMK raised this subject before the House, about the ratification of the Forty-fifth Constitution Amendment Bill. Instead of ratifying the Forty-fifth Constitution Amendment Bill, Mr. MGR introduced another Bill asking for more money for the MLAs, for an increase in the salary and pension and other facilities.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI C. T. DHANDAPANI: During the last Election even Harijans were not allowed to exercise their franchise. In many villages, even in my constituency, the ADMK people and allied political Parties, including our Communist friends, prevented the Harijans from exercising their franchise. This is the condition.

Now, the Central Government in charge of the state Government can do something because the previous Government the MGR Government surrendered the money without spending it. Rs. 1½ crores was surrendered last-year to the Central Government, which was earmarked for the development of Harijans and for welfare measures.

I would like to say only one thing before I conclude. This is a most important matter. There was a demand from people of some other communities which are considered as most

backward communities in our place for inclusion of their communities also in the list of Scheduled Castes. These are Boyas, Kudumbars, Barbers, Dhobis, Vetuvans and some other communities Harijans converted to christianity should also be given the concession and this should be incorporated in the constitution. I may say that our Madam Prime Minister gave an assurance to the Members of Parliament belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes that the area of restriction will be lifted. She has promised personally as well as in the House—if I remember correctly. I therefore request the Government to go in for legislation in this matter.

I fully agree with the sentiments of the Government in the matter of the programmes which are going to be implemented in the near future.

With these words I conclude my speech.

*SHRI A. C. DAS (Jajpur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to thank you for having given me the opportunity to take part in the discussion. The Twenty Fifth Report of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is before us. I have studied this report very carefully. I am sorry to learn from the report that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people have not progressed like other sections of our society. We are human beings and all are born equal but I fail to understand why God has given birth to us among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Human society gets divided into different classes or castes. If we look at the pre-independence India we come across some great men who had done commendable service for the upliftment of Harijans. Mahatma Gandhi was one among them whose contribution towards the upliftment of this neglected

class of our society is very significant. But in the post independent India Shrimati Gandhi is the only leader who has done worthwhile service to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. She is trying her best to remove casteism, untouchability and illiteracy from this section of our society. It is her earnest desire to see that they make progress in all fields. I am sure, if she continues her efforts, this neglected class will certainly prosper and we have high hopes and confidence in her for the same continued efforts.

Sir, I have heard many speeches of our hon. Member from both sides. One of our friends said that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people could improve their lot if they made efforts of their own. I differ with him, because they are economically, socially and educationally backward. They are so backward that they cannot come up on their own. Therefore, I appeal to the well-to-do people to extend their support to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Sir, we are neglected, suppressed, harassed and exploited by the Caste-Hindus. Due to our illiteracy and poverty, our economic condition has deteriorated. A number of obstacles are there in our path of progress. But it is a fact that we are the basic cause of all development and progress. We are the labourers. We construct the roads, buildings and even our Parliament House had been constructed by us. It is by our hard labour that the palatial buildings are coming up. But we remain poor. Those who take birth in our families remain backward, whereas the same human being who take birth in upper class improve their lives. This is our social system. This is a very old system It should be changed. We should create a class-less society. If any political party has taken any initiatives to bring about new changes

[Shri A. C. Das]

in our society, it is a Congress (I) party. Other parties are only shedding crocodile tears. They have no specific plans and programmes or policies.

I would like to ask my friends in the opposition benches why they have not committed themselves to look into the problems of Harijans. The Congress Party has made special provision to emphasise the implementation of schemes in respect of the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We are committed to that. Shrimati Indira Gandhi is really working for our welfare.

Sir, I wanted to go into the details of this Report. I was a member of the 5th Lok Sabha. I can say from my own experience that except Congress nobody is sincere about implementing different schemes for the upliftment of our people. It is our political commitment to our people. But Government employees are the persons who deal with the schemes. They have no commitment towards these people. So they do not make sincere efforts for the implementation of the schemes. Those bureaucrats are the main hurdles in the way of the progress of these neglected people. But they handle publicity department very wisely. We have been listening from Radio and T. V. that Government spends so much of money for the welfare of Harijans and Adivasis. I would like to ask if Government is spending so much money why are we still backward? Why are we uneducated? Sir, the reason is quite obvious. The Government allocation is remarkable. But due to lack of proper incentives and sincerity different Adivasis and Harijans schemes are not implemented in a proper manner. As a result we are in the same places where we were.

Sir, I would therefore, like to give some suggestions for the upliftment of these two classes of people. Sir, generally they are labourers. Most of

them are agricultural labourers. They are landless. Throughout their lives they manage with difficulty get their food. Of course, very few of them are small farmers. They are poor. So they do not get sufficient funds to improve their lands. Therefore, it is my earnest appeal to the Government to extend all kinds of support to these suppressed classes of the people of our society. Land should be distributed to the landless agricultural labourer. Fertilizer, seeds, sufficient funds and agricultural equipment should be supplied to them. Home stead land should be given to them. Mere allocation is not enough. A separate section should supervise the implementation work.

Sir, I would therefore, like to give the owner of the land". But it is yet to become a reality. The Harijan agricultural labourers have been tilling the lands for the last many years. It is their profession. But they have not yet become the owners of the lands. No Governments except those headed by Congress men, have gone through the problems of Harijans. I must thank Shrimati Indira Gandhi for her 20-point economic programme. There were some special provisions in this programme to look into the problems of this Class of people when she was in power, lands were distributed to landless Harijan and Adivasis. These people were benefited. They had the hope and aspiration that they can build their future with the land they were allotted. But it is their misfortune that the Government changed Janata and Lok Dal Governments could not provide better and stable administration. They played in the hands of bureaucrats.

15.00 hrs.

(SHRI SOMNATH CHATTERJEE in the Chair.)

MR. CHAIRMAN: You have taken more than the scheduled time. You please conclude.

SHRI A. C. DAS: I must call that Government the demon Government. The lands of the Harijans were taken away by the upper Caste people. Adivasis and Harijans were deprived of social justice. The caste-Hindus suppressed and oppressed them by lodging cases in the courts. They threw money and with the help of police started oppression, Sir, where can the Harijans get money to fight the cases, caste-Hindus burnt the Houses of Harijans. They were killed. They could not stand on their own feet. Their dreams disappeared. They became economically backward. Thanks God, the Lok Dal and Janata Governments were ousted from power due to their misdeed. Our people reacted strongly against them. I am happy that Shrimati Indira Gandhi came back to power with a massive mandate. I am sure the Harijans and Adivasis who have been neglected since long will be benefited now. Sir, I would like to say a word about the plight of a group of Harijans in my constituency. They are 'Mankadia' by caste. They live in Jaipur and Sukinda areas of Orissa. Their strength is 2000 to 3000. They depend upon monkey's flesh; they kill the monkeys and eat their meat. When they finish the monkey in one area, they shift to some other place. They do so due to dire poverty. Sir, I had drawn the attention of the Government to improve their lot while I was a member of the 5th Lok Sabha. Now also I request the Government to prepare some schemes for the improvement of their lot. Lands, houses, fertilisers, seeds, agricultural equipment, and other help should be extended to them. Permanent arrangement should be made for their rehabilitation.

Sir, I would like to bring it to the notice of the Government about certain cases of Harijans atrocities. They have been exploited by the caste-Hindus for years. Due to continuous suppression many Scheduled Castes and Scheduled Tribes people have become Christians. Atrocities

on Harijans are continuing still in our society. There is a village named 'kalan' in my constituency. It is under the Dharamshala P. S. Both Scheduled Castes and caste-Hindus are living there. One day a group of Scheduled Castes people were going in a procession chanting the names of God. All of a sudden the caste-Hindus obstructed the Harijans saying that "You are Harijans, how you sing religious songs." This is the type of injustice they have to put up with. Therefore, I would like to urge upon the Government to give full protection to the Harijans.

While speaking about the economic plight, I would like to request our Ministers of Home Affairs to take some immediate steps to provide employment to the unemployed Harijans youths. Sir, from the report of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner, I found that adequate number of representation had not been given to the Harijans in various services. When I made a query about this disparity I got the reply that they are not trained enough to qualify for the posts. Sir, I request you to chalk-out plans under which they can get education and proper training to qualify for the different services. Moreover we should see that they are self-supporting.

Sir, 10 per cent of the total seats are reserved for the Scheduled Castes students in respect of their admission to various education institutions and also in employment in various services. This is quite insufficient. It should be increased.

MR. CHAIRMAN: Now, please conclude.

SHRI A. C. DAS: I am concluding Sir.....In Defence and Police services their representation is also very insufficient. In order to induce them to become more valorous a large number of people from this community should be recruited in Defence

[Shri A. C. Das]

and Police services. Highest priority should be given to these people. At the same time training centres should be opened to provide necessary training to the unemployed youth of these community.

MR. CHAIRMAN: Please conclude, Mr. Das.

SHRI A. C. DAS: Only one minute Sir....

Sir, I finally urge upon the Government to lay emphasis on implementation of the programme of the Scheduled Castes Development Corporation of Orissa. Sir, the Corporation was set up at a time when the Congress Government was in power. The aim of this organisation is to work for the all-round development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities.

MR. CHAIRMAN: Now Mr. Das conclude. You have taken more than the scheduled time.

SHRI A. C. DAS: Just one minute please... A similar organisation as Scheduled Tribes Development Corporation should be constituted to look into grievances of Adivasis. I hope that our Government give highest priority for the upliftment of these long neglected communities.

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बोलने वाले सदस्यों के नाम बाकी हैं और कितना समय बाकी है।

MR. CHAIRMAN: It is not a point of order. It is not for the Chair to answer.

श्री हरिकृष्ण बहानुर (गोरखपुर) : सभापति जी, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा और अपने विचारों को 10 मिनट के अन्दर ही व्यक्त कर देना उचित समझता हूँ।

यह बहूत ही दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के लगभग 33 साल के बाद भी आज हमारे देश के विभिन्न भागों में कहीं साम्प्रदायिक

बंने होते हैं, कहीं हरिजनों पर अत्याचार होते हैं, कहीं दबे हुए लोगों पर अत्याचार होते हैं और कहीं पिछड़े हुए लोगों पर अत्याचार होते हैं। वास्तव में यह जो प्रवृत्ति हमारे देश के अन्दर दिखाई दे रही है, उस का उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जमाने से और उस जमाने से जब इस देश को आजाद कराने वाले महान् नेताओं ने तमाम तरह की कुर्बानी दे कर, इस देश के लोगों की तरक्की के लिए संघर्ष किया और इस देश को आजाद कराया। उस समय से ले कर आज तक लगातार हम बात के प्रयास किये गये कि लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो और मानवता के महानतम सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, उन सिद्धांतों को अंगीकार करने के लिए, उन को स्वीकार करने के लिए अपने आप को लोग मानसिक रूप से तैयार करे लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। लोगों के विचारों के अन्दर जो कुत्सित भावनाएं हैं, उन के उभर जाने की वजह से हमारे देश के अन्दर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और इन को रोक पाने में हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। यह दुःखद बात है कि आर्थिक विषमता के कारण आज भी अनुसूचित जातियों के लोगों पर अत्याचार होते हैं। वहीं पर आज चुनावों के अन्दर जिस तरीके से लोग जातिगत भावनाओं को फैलाने की कोशिश करते हैं, उसी के परिणामस्वरूप इस तरह की घटनाएं देश के विभिन्न भागों में होती हैं।

चुनावों में अनुसूचित जातियों के लोगों के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, किस तरीके से उनको वोट देने से रोका जाता है, ये सारी चीजें देश जानता है। जो लोग इन चीजों को करते हैं, उन्हें भी इन बातों का अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में, खास कर उसके पश्चिमी भाग में हरिजनों को वोट नहीं देने दिया गया। भारत एक गणतान्त्रिक देश है और इस गणतान्त्रिक देश में हर आदमी की आवाज का महत्व है क्योंकि हर आदमी की आवाज पर यहाँ सरकार बनाने की ज़रूरत समझी जाती है। लेकिन उसी गरीब आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। पिछले चुनावों के समय उत्तर प्रदेश में लोकदल की सरकार कायम थी और उसके नेता हैं चौधरी चरण सिंह जो कि उस समय देश के प्रधान मंत्री भी थे। इस बात को सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उन के क्षेत्र में तमाम हरिजनों को वोट नहीं देने दिया गया।

आप बिहार की घटनाओं को देखिये। बेलछी कांड, पिपरा कांड और पारसबीषा कांड को देखिये। इन क्षेत्रों में जिस तरीके से तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं उनमें कौन लोग भाग ले रहे हैं? वे लोग एक विशेष दल से सम्बन्धित लोग हैं और देश में ध्यादातर धारणा इस बात

की है कि बं शोक दल से सम्बन्धित लोग हैं। एक तरफ अनुसूचित जातियों की सुरक्षा की बात बनी जाती है, एक तरफ उनका जीवन बेहतर बनाने की बात की जाती है लेकिन दूसरी तरफ बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक लोग इन घटनाओं में भाग लेते हैं और कराते हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि जो लोग इन घटनाओं को करते हैं वे पूरे देश के मुँह पर कालिख लगाते हैं। ऐसे राजनीतिक लोग क्या हिन्दुस्तान को चला सकते हैं। अब देश की जनता इन घटनाओं को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। (व्यवधान) इन बातों से आपको ताराजगी जरूर है लेकिन आपको और हमें अपने चेहरों को देखना पड़ेगा और पूरी सफाई के साथ आप देखियें कि जो कुछ आप कर रहे हैं क्या वह दंडाहित में है? इन चीजों को हम सभी को रोकना पड़ेगा क्योंकि हिन्दुस्तान अब इनको बर्दाश्त करने वाला नहीं है।

मंत्री जी ने कहा है :—

66 per cent of the scheduled castes and 18 per cent of the scheduled tribes were bonded labours.

आज इतने साल की आजादी के बाद भी उनकी यह स्थिति है। आज भी इतने लोग बोन्डेड लेबर के रूप में इतने सालों तक काम करते रहे हैं यद्यपि बोन्डेड लेबर की परम्परा समाप्त की गयी है और कानूनी तौरके से समाप्त की गयी है। लेकिन अभी भी यह देखने की जरूरत है कि क्या मचमुच में वह समाप्त हो गयी है। जो लोग आज भी बोन्डेड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं उनके बारे में सरकार तत्परता से ध्यान दे और इस स्थिति को समाप्त करे। सरकार यह देखे किन कारणों से अभी भी यह स्थिति बनी हुई है। चूंकि हमारे अनुसूचित जातियों के भाइयों का जीवन स्तर नीचा रह गया है, हम उसके जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाये हैं इसलिए सरकार को उनकी आर्थिक कठिनाइयों को भी देखना है। मैंने उनकी सामाजिक कठिनाइयों का अभी जिक्र किया है और यह भी बताया है कि इन सामाजिक कठिनाइयों के लिये कौन लोग जिम्मेदार हैं। यह ठीक है कि आर्थिक कठिनाइयों की वजह से भी उन पर अत्याचार होते हैं। उनको आर्थिक रूप से भी अधिक बेहतर बनाना होगा, उन्हें अधिक पुष्ट करना होगा।

मान्यवर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। लेण्ड रिफार्म का सवाल है। लेण्ड रिफार्म की बात बहुत की जाती है। लेकिन जो भी जमीन सीलिंग में से निकाल कर उनको दी गयी थी उसको भी हरिजनों से छीनने की कोशिश की गयी है। उनकी उस जमीन पर लोग जोरबदवस्ती

से कब्जा कर रहे हैं। बहुत सी घटनाएँ जो हरिजनों पर अत्याचार की होती हैं उनके पीछे उनकी भूमि पर कब्जा करना भी एक कारण है। इस भूमि के सवाल को सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, जो लोग हरिजनों पर अत्याचार करते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं, उनके साथ सख्ती की जाए। शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में उनकी रक्षा करने के लिए हमें वकील नियुक्त करने की जरूरत है ताकि न्यायालयों में उनकी वकालत हो सके। सरकार को यह भी चाहिए कि जहाँ पर इस तरह के अत्याचार होते हैं वहाँ पर सामूहिक रूप से जुर्माना करे। स्पेशल कोर्टों का जो काम है, वह प्रोविजन कायम रखा जान चाहिए और उस प्रोविजन के तहत उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाए ताकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर जो लोग अत्याचार करते हैं उनको जल्दी से सजा मिल सके। इस दिशा में हमारे समाज सुधारकों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को भी कार्य करने की जरूरत है ताकि इस बिगड़ी हुई प्रवृत्ति का उन्मूलन किया जा सके और अपने अनुसूचित जाति के भाइयों को सुरक्षा दी जा सके।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

SHRI N. E. HORO (Khunti): Mr. Chairman, Sir, the Constitution of India, under Article 46, enjoins upon the State to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular, of the scheduled castes and the scheduled tribes. The State is also directed to protect them from social injustice and all forms of exploitation. Sir, the Constitution says, under Article 46 that State means and includes 'the Government and Parliament of India; the Government and Legislatures of the States and all Local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India.'

Sir, the Commissioner's report for the period 1977-78 admits in unambiguous terms the failure of the State to do so during the last three decades after independence. The report also says that 'the twin challenges of their development and protection could not be met. On the other hand,

[Shri N. E. Horo]

the perpetrators of crimes on them have assumed organised aggressiveness.' It is a sort of class war that has come to be' the Report states.

Sir, the Planning Commission's Draft Sixth Five-Year Plan has mentioned about this. It says that the prevalence of poverty and inequality is virtually unchanged over the years among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people.

Sir, what is the situation now? I think that the Union Government has not discharged its responsibility.

During the last 32 years or so the Government of India has only directed the States or advised the States to take care of these people. But, they have got their own responsibility in the matter. If you go through the Report you will find that the different ministries under the Central Government—the Law Ministry, the Home Ministry, the Health Ministry and other Ministries—have created various troubles and various constraints and they have not allowed things to move. I do feel that the Central Government is responsible for all these things. There is administrative bungling there. Sir, we know that there are certain in-built constraints in the bureaucracy.

I feel that there is some wisdom in the view that there should be a separate full-fledged Ministry to look after the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. I do plead with the Government that they should take this into serious consideration and do the needful.

I also feel that there should be a mechanism at the Central level and at the States level to see that the schemes which are being implemented are done properly. There should be this mechanism there which must

supervise and also evaluate the programmes which are taken up for implementation.

The Commissioner's report says about one thing very clearly. It is this. The report says that the office of the Commissioner has become very weak. The report also says that the office of the Commissioner should be strengthened. It means that the old organisation which we had some years ago should now be restored by giving all facilities and all powers to him, to look after the interests of these people, failing which, I think, all the money which is being spent by the Central and State Governments, will only go down the drain, as has happened during the last 32 years.

Now, regarding the Land Ceiling laws, they should be effectively implemented. At the State level the Tenancy Law should be up-dated. The right of ownership of productive sources should be ensured to these Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. The process of deprivation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes resources should be halted. I want to mention here that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Constitution Amendment Order 1976 should be reviewed and in that the so-called Assam Tea Garden Tribes and other communities should be included and they should be recognised as Scheduled Tribes. There are some Scheduled Tribes in the Andaman and Nicobar Islands. They have not found a place in the List. They should be enlisted as Scheduled Tribes. In this connection, I may also submit that the area restriction should be removed so that the Scheduled Tribe of one area should be counted as Scheduled tribe of the entire country. This lacuna should be removed.

In the case of appointment of judges and their promotion, I want to mention specially that in Bihar the Patna High Court has refused to

promote the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the post of judges. This fact has also been mentioned the Report.

In the case of admission to different institutions like Medical Institution or Technical Institution, the matter should be thoroughly studied and it should be ensured that they get admissions in the institutions.

Lastly, there is a Constitutional provision to have Scheduled Tribes Advisory Council in each State, especially in those States where there are tribal areas. In Bihar, there is not Scheduled Tribes Advisory Council and the report itself says that there were only two meetings held one in 1975 and the other in 1976. Thereafter, no meeting has been held. So, this constitutional provision which is there, should be implemented. That is why I say that it is the duty of the Central Government to see that the Constitutional provisions are properly implemented in all earnestness.

श्री राम लाल शही. (मिसरिख) : अधिष्ठाता महोदय, अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के प्रायुक्त को जो 25वीं रिपोर्ट पेश हुई है, उस पर मुझे आपने आपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ।

इस 25वीं रिपोर्ट से पहले भी हर साल इस सदन में पिछले 24 सालों में रिपोर्ट पेश होती रही हैं। मैंने इस रिपोर्ट को देखा है, इसमें लगभग 155 संस्तुतियाँ और सुझाव दिये गये हैं। इससे पहले की 3, 4 रिपोर्टें भी मुझे देखने का अवसर मिला, उनमें भी लगातार संस्तुतियाँ और सुझाव दिये जाते रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि इन रिपोर्टों में जो संस्तुतियाँ और सुझाव दिये जाते हैं, अगली रिपोर्ट जब पेश हो तो सरकार को इस बात के लिये उत्तरदायी होना चाहिये कि पिछली रिपोर्ट की संस्तुतियों और सुझावों पर कितना प्रयत्न किया गया है और कितना शेष रह गया है। यह बात प्रगर की जायेगी तो निश्चित रूप से जो बाख्बार एक ही बीज बोहरायी जाती है, उससे छुटकारा मिलेगा।

मैंने यह देखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक सुधार हरिजनों पर होने वाले अत्याचार रोकने कृषि-विकास, रोजगार दिलाने प्रादि-प्रादि के सुझाव जो आज की इस रिपोर्ट में हैं, इससे पहले की रिपोर्ट में भी बराबर इन्हीं मामलों पर सुझाव दिये जाते रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो हरिजन हैं, अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं, उनके बच्चों को समुचित रूप से सहायता और छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। इसमें ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी अर्थाभाव के कारण हाई स्कूल से पहले ही बीच में शिक्षा रुक जाती है और वह घर बैठ जाते हैं, उनके लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि बीच में उनकी पढ़ाई न रुके।

जहाँ तक सर्वसिज में आरक्षण का सम्बन्ध है, किसी भी विभाग में आरक्षित क्वोटा पूरा नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में उसके लिए कई सुझाव दिये गये हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि जब तक किसी विभाग में हरिजनों तथा प्रादिवासियों का क्वोटा पूरा न हो, तब तक नई नियुक्तियों में उन्हें 50 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाये। आज किसी प्रदेश में 12 प्रतिशत है, किसी में 18 प्रतिशत है। जितना क्वोटा निर्धारित किया गया है, जब उतना ही पूरा नहीं होता है, तो 50 प्रतिशत कैसे पूरा होगा? कौन करेगा? सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

कभी कभी मैं न अधिकारियों के साथ बैठ कर उनकी बातों को सुना है। वे बहुत जोस-खरोश के साथ कहते हैं कि आप सर्वसिज में आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन राजनैतिक क्षेत्र में गांव-स्तरीय से ले कर केन्द्र तक जो प्रजा-तांत्रिक इकाइयाँ बनी हुई हैं, क्या उन सब में आपने आरक्षण करवा रखा है। यह सही है कि विधान परिषदों में शिष्टयूल्ड कास्ट्स और शिष्टयूल्ड ट्राइब्स को 18 फीसदी आरक्षण नहीं दिया गया है। यह भी सही है कि जिला परिषदों और विकास-खंडों में आरक्षण नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल विकास-खंडों में से लखीमपुर-खीरी के केवल एक विकास-खंड में एक हरिजन चुना गया। अगर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होता, तो बहुत से लोग चुने जा सकते थे।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस बात पर विचार करें कि जन गांव सभाओं में, 30, 35 प्रतिशत आबादी हरिजन-प्रादिवासियों की है, उनमें इन वर्गों के लिए आरक्षण किया जाये, ताकि गांव सभाओं के प्रधान और ब्लाक समिति के प्रमुख के पदों पर भी हरिजन चुने जा सकें।

अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की सूची में सुधार करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं, जो अनुसूचित जातियों के अन्तर्गत आती हैं, लेकिन वही जातियाँ केवल

[श्री रामलाल राहो]

ग्राम्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में नहीं आती हैं। उदाहरण के लिए पासी जाति उत्तर प्रदेश और बिहार में अनुसूचित जातियों में है। मध्य प्रदेश में भी वह शामिल की गई है। लेकिन ग्राम्य प्रदेश में वह शामिल नहीं है। हैदराबाद जैसे बड़े नगर में हजारों व्यक्ति एक मोहल्ले में रह रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों की सूची में नहीं है। इस विषयता को दूर करने के लिए एक जाति को राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, तभी उस जाति का विकास हो सकेगा और राष्ट्रीय स्तर पर लगाव पैदा हो सकेगा।

सदन में मैंने कल भी जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में जब श्री बहुगुणा जी मुख्य मंत्री बने तो शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राईब्स के लोगों को सहायता देने के लिए एक निगम की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यवसाय और रोजगार के सम्बन्ध में सहायता की व्यवस्था की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने उसमें अवरोध उत्पन्न किया, जिससे लोगों को सहायता नहीं दी जा सकी। मैं/मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि केन्द्र से निगम को अधिक से अधिक सहायता दी जाये, ताकि उसके माध्यम से प्रदेश के गरीब और सर्वहारा लोगों को सहायता की जा सके।

जहाँ तक आवास समस्या का प्रश्न है, पिछली कांग्रेस सरकार ने मुझ स्तर पर इस समस्या को हल करने का प्रयास किया था। हर ब्लॉक क्षेत्र में एक एक गांव चुन कर उसमें तीन चार मकान बनाने का काम शुरू किया गया था। लेकिन उन मकानों को गांव से बिल्कुल बाहर बनाया गया। मैंने अनेक गांवों में स्वयं भी देखा है कि आज भी वे मकान खाली पड़े हैं। इस लिए यह जरूरी है कि मकान इन्हें बग के बनाये जायें कि एक परिवार उन में ठीक तरह से रह सकें तथा आबादी के मेल में हो। एक कमरे का घर बना कर के आप किसी परिवार को दें जिस में उस की बीवी, जवान बच्चे, लड़के-लड़की सभी लोग रहें, यह शोभा नहीं देता। एक के बजाय कम से कम दो तीन कमरों का मकान दें जिस में लैटिन, नल, पानी की भी व्यवस्था हो, कुछ आंगन हो, कुछ उन के दरवाज पर स्थान हो जिसमें वे कुछ छोटे बड़े जानवर पाल सकें, तभी जाकर उन का जला हो सकेगा।

श्री हरीश चन्ध सिंह रावत (अल्मोडा) : सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के आयुक्त की रिपोर्ट को इतनी तत्परता के साथ इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है। यह तथ्य इस बात का जहिर करता है कि माननीय इंदिरा जी को नेतृत्व में वर्तमान सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ ठोस कार्य करने के लिए

तत्पर है। छुआछूत के रोग की बात यहाँ पर सदन के सामने आई। यह एक ऐसा गांव है हमारे समाज के ऊपर जो सदियों से चला आ रहा है। जब तक यह शाव नहीं भरेगा हमारा समाज और हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस के विषय में हमें अपने राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचना चाहिए। इस को किसी दल विरोध का मामला बना कर सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह सारे समाज का मामला है। मैं तो अपने साथियों से भी अभी कह रहा था कि आज जरूरत इस बात की है कि जो सवर्ण मानसिकता हैं सवर्णों में जो एक सवर्णपन की मानसिकता विकसित हुई है उस को समाप्त किया जाय। जब तक आप सवर्णों के मन में इस मानसिकता का खिलाफ जड़ो-जड़ो-वैदा करेंगे तब तक छुआछूत की बात को कहिए यह समाप्त नहीं होगा इसमें सवर्णों को आगे आना चाहिए, यह राष्ट्र और समाज के हित में है। जब तक समाज के सीचे में इस तरह के छोटे फफोले पलते रहेंगे तब तक समाज एका नहीं हो सकता।

छुआछूत की समस्या वर्ण-व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। इस का इतिहास इतना ही पुराना है जितना पुराना वर्ण-व्यवस्था का इतिहास है और यह वर्ण-व्यवस्था शोषण की व्यवस्था है आज भी हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाई इस शोषण के शिकार हो रहे हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ उन के मन में एक आश्रय है, एक जवाला है। इस को हमें समझना चाहिए। अगर हम समय रहते इसे दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे और इस के लिए कुछ ठोस और रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर एक विस्फोटक स्थिति हमारे सामने खड़ी हो जायगी।

मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को उन के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। जमीन का मामला है। हरिजनों को जमीन देने की बात बहुत बार कही गई है और कांग्रेस सरकार ने ईमानदारी के साथ कुछ इस ओर प्रयास भी किए लेकिन कुछ की बात है कि हमारे ग्रामीण अंचल में एक ऐसा नया आर्थिक वर्ग जो कृषक है, समृद्ध है, वह पनप रहा है। वह वर्ग न केवल आज गांवों में पनप रहा है बल्कि जहाँ एक राजनैतिक पार्टी भी बना ली है और आज उस वर्ग के लोग सदन में भी आ गए हैं। लोक दल के रूप में। तो कैसे हरिजनों के हितों का संरक्षण होगा, इस सवाल पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

बांडेड लेबर को कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश के जरिए समाप्त किया। उन के ऊपर एक जो सदियों से बन्धन था उस से उन को मुक्त तो कर दिया, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात नहीं सुनाई गई जिस से उन की रोजी रोटी का इंतजाम हो सके। बैंकों से कहा जाता है कि हरिजनों को ऋण दें। लेकिन बैंक उन से गारंटी

मांगता है। अब वह लोग गारंटर कहां से लाए? उस अधिकार के पास गारंटर कहां से हो सकता है? इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिए।

आज हरिजनों के मूल उद्योग उन से छीन लिए गए। बड़े बड़े उद्योग आज उन कामों को करने लगे हैं जिन को हरिजन और गिरिजन पहले करते थे। जूता बनाने का उद्योग हरिजनों का पुराना उद्योग था। इस से वह अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन आज बाटा ने जूते बनाने और जूते की मरम्मत का काम भ्रूक्ष्यार कर लिया। तो कैसे क्या होगा, इस के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जो हरिजनों के मूल उद्योग है उन को सरकार संरक्षण दे, उन को मदद दे उन उद्योग-धन्वों को पनपाने में।

आज हरिजनों का शोषण केवल सवर्णों के द्वारा ही नहीं हो रहा है। हरिजनों का शोषण हरिजनों के द्वारा भी हो रहा है। हरिजनों में भी एक ऐसा वर्ग बढ़ा हो गया है जो हरिजनों को मिलने वाली सुविधा के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्ट उस का हड़प जाता है। मंत्री भी उसी का होता है, कलेक्टर भी उसी वर्ग का होता है। उस का भतीजा पुलिस आफिसर भी उसी वर्ग का होता है और एयर होस्टेस भी उसी वर्ग की लड़की होती है। उन लोगों के मन में हरिजनों के प्रति कोई प्रेम नहीं है। मेरा निवेदन है अपनी सरकार से कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति को प्रारक्षण की सुविधा दी जाय हरिजनों में जब तक कि सारे हरिजनों को प्रारक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं हो जाती।

मैं प्रायोग के कमिश्नर महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े विस्तार से कई सालों और पहलुओं पर इन वर्गों के हितार्थ सोचा है और उन्होंने कई सुझाव भी दिए हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सुझावों पर तत्परता से प्रमल किया जाये और इन पर प्रमल करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाय। प्रांतीय स्तर पर भी इसे देखा जाय। आज एक ऐसी मशीनरी डेवलप करने की जरूरत है जो ईमानदारी के साथ इन चीजों पर जो सरकार की मंशा हो उसका कार्यान्वित करे। उनको प्रमल में लाये।

मैंने प्रायोग की रिपोर्ट पढ़ी है। मुझे यह देख कर बड़ा दुःख हुआ है कि देश में करीब 175 पब्लिक अण्डरटेकिंग हैं लेकिन उन में किसी भी बड़े पद पर कोई हरिजन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की अण्डरटेकिंग में भी किसी बड़े पद पर कोई हरिजन नहीं है। जब सरकारी और गैर-सरकारी बड़े पदों पर कोई हरिजन ही नहीं तो फिर उन के हितों को कौन देखे? जिस पुलिस पर हरिजनों की रक्षा का भार है उसमें कास्टेबल से लेकर बड़े अधिकारियों के पदों पर बहुत कम हरिजन हैं, यदि कोई हरिजन वर्ग के लोग

हैं भी तो वे सवर्ण मानसिकता के शिकार हैं, वे अपने को हरिजन समझना ही नहीं चाहते हैं।

हरिकेश जी ने यहा पर ठीक कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय तनाव है, जातीयता के नाम पर लोकसभा के चुनावों में संविधान द्वारा प्रदत्त वोट डालने का अधिकार का उपयोग हरिजनों को नहीं करने दिया गया। मेरा निवेदन है कि ऐसे तत्वों को रोकने के लिए तथा हरिजनों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग करने के लिए एक विशेष पुलिस का निर्माण किया जाए। वह पुलिस दस्ता या पुलिस चौकी उन इलाकों में तब तक कायम रखी जाए जब तक कि इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों को बिलकुल कुचल न दिया जाए अन्यथा हरिजनों में भ्रामक विश्वास जग नहीं पायेगा।

अब मैं थोड़ी सी बात अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक जनजाति कुकस्त्रिया-बेस, पिप्टी-नूमक जिले के कम्मेसीहट्ट ग्लाक में है, उनके रिश्ते श्रादी-म्याह जनजातियों के साथ होते हैं लेकिन उनको जनजाति के रूप में मान्यता नहीं मिली हुई है। मेरा आग्रह है कि इस जाति को भी जनजाति की मान्यता दिलाई जाए।

हमारे सीमान्तों पर, इसमें मैं अपने पूर्वांचल के सीमान्तों को भी डालता हूँ, कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जो समान कड़ीशरस में रहती हैं लेकिन उनको जनजाति की सुविधा नहीं दी जाती है। इसके कारण उनमें बड़ा असंतोष है। मेरी प्रार्थना है कि इस असंतोष को समाप्त करने की शीघ्र कोशिश की जाए।

हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मोटिया और नान-मोटिया रहते हैं लेकिन वे एक ही प्रकार की कड़ीशरस में रहते हैं। मेरा निवेदन है कि मोटिया लोगों को, जो जनजाति में आते हैं, उनको जो सुविधायें दी जाती हैं वही सुविधायें दूसरे लोगों को भी दी जायें। दम क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए। मोटिया में जो लोग ईसाई हो गए हैं उनको भी माटया जनजाति की सुविधायें प्रदान की जायें।

हमारे यहां मिसेसन्त में बनरावत नाम की जाति है जिसको जनजाति की मान्यता मिली हुई है लेकिन वह जाति समाप्त हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि यह सरकार की तरफ से किया जा रहा है बल्कि आधुनिकता का फैशन चल गया है ब्रह्म बनेरह की जानकारी जो उनको होती थी उसको खोना नहीं किया जा रहा है। अतः धीरे-धीरे आर्थिक विषमता के कारण वह जाति समाप्त हो रही है। सरकार उसको संरक्षण देकर समाप्त होने से बचाने।

[श्री हरीश रावत]

असिन्-बाबर क्षेत्र में, जोकि ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर जो जाति रहती है उनकी महिलायें बहुत सुन्दर होती हैं। इधर के कुछ लोग उन सुन्दर महिलाओं को लाकर लखनऊ और कानपुर में बेचने का प्रयास करते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसको रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाए जायें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी तत्परता के साथ इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और मुझे विश्वास है कि जिस तत्परता के साथ उन्होंने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है उसी तत्परता के साथ इस रिपोर्ट के सुझावों पर भी प्रमल करेंगे।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइबल के संबंध में उस पच्चीसवीं रिपोर्ट का पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ इस हाउस का एक एक मेम्बर महसूस करता होगा कि 33 साल की आजादी के बाद इस पच्चीसवीं रिपोर्ट में भी वही कंडीशन्स लाई गई हैं जोकि आज से तीस साल पहले थीं। सन् 1930 में डा० ब्रम्बेडकर ने राउण्ड टेबल कांफ्रेंस में लन्दन में कहा था कि अंग्रेजों को हिन्दुस्तान को तब तक आजाद नहीं होने देना चाहिए जब तक ब्रिटिशर्स शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को यह गारंटी न दे सके कि आजाद हिन्दुस्तान में हरिजनों एवं आदिवासियों को भी सामाजिक और आर्थिक आजादी मिल जायेगी। डा० ब्रम्बेडकर ने सन् 1930 में राउण्ड टेबल कांफ्रेंस के अन्दर यह सवाल उठाया था और हमारे श्री भोला पामवान जी की 25वीं रिपोर्ट में जो मैमोरेण्डम दिया गया है कि हरिजनों पर अत्याचार और दमन हो रहे हैं, उनका मुख्य कारण है—मिनिमम वेज एक्ट-जिमके अनुमति जब हरिजन अपने मिनिमम वेज के लिए मांग करते हैं तो वह पूंजीपति लोग उन हरिजनों की मांग को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनको घाम और फूस की तरह रोंद देते हैं।

अनटचेबिलिटी एक्ट जो सन् 1955 में बनाया गया था, बाद में उसको नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्दर बदल दिया गया था, उसमें ऐसे प्रावधान रखे गए थे कि हरिजनों के लिए ऐसे सब्जत कानून बनाने चाहिए, जिससे कोई भी दमनकारी हरिजनों पर अत्याचार न कर पाए, लेकिन आज उसके बावजूद भी हिन्दुस्तान के हरिजनों पर अत्याचार होते हैं—यह बड़े शर्म की बात है। सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि इसकी पार्टीबाजी या किसी नेता के इन्ट-रेस्ट का सवाल बनाकर उठाया जाता है। मैं खासतौर से अपनी पार्टी की तरफ से नहीं कहना चाहता, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने नारायण-पुरकाण्ड के सिलसिले में खुद कहा था कि नारायण

पुर के काण्ड के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह सत्ता में रहे। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रकली सब समस्याओं को हल कर देंगी, लेकिन आज जब आपके शासन काल में पिपरा और दूसरे काण्ड हो रहे हैं, तो मोरली श्रीमती इंदिरा गांधी को भी प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिये था। यह नहीं होना चाहिये था कि दूसरी पार्टियों की सरकारों को दोष देकर गिरा दिया जाय, जबकि आपकी अपनी कुर्सी के नीचे पिपरा काण्ड में 14 बच्चों को जिन्दा जला दिया गया। मैं खासतौर से श्रीमती इंदिरा गांधी से कहना चाहूंगा कि उस काण्ड में भी एक बच्चे का नाम संजय था, जिसकी जला दिया गया, शायद उसकी मां भी यह सोचती होगी कि कभी मेरा लड़का भी इस देश का प्रधान मंत्री हो सकता है। जब हमने इस सवाल को यहाँ उठाया तो श्रीमती इंदिरा गांधी बगैर जवाब दिये इस सदन से उठकर चली गई। आज इस हाउस का एटोर्नैस आपके सामने हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि यह समस्या कितनी गम्भीर समस्या है और हमारे मुल्क की एक तिहाई आबादी का मसला है। इससे आप अन्धाजाला लगा सकते हैं कि इस भयानक समस्या पर विचार करने के लिये इस समय हम लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है, दूसरे लोगों की अपेक्षा। मैं खास तौर से यह कहना चाहना हूँ कि जो आग आज हरिजनों में पैदा हो रही है, इस मुल्क के चाहे आदिवासी हों, नागा हों, मीषों हों, वह पूरी बेल्ट हरिजनों और गिरिजनों की यह महसूस करती है कि इस मुल्क में हमारे लिये कुछ नहीं है। आप इस तरह से देखिये—मजदूरी मांगने पर उनको काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, उनकी औपधियों को फूक दिया जाता है और हमारी प्रधान मंत्री जी ने जब पिपरा का काण्ड हुआ तो यह कहा कि इस प्रेजेंट मिचुएशन में—I can assure this House that this type of incidents will not be repeated. लेकिन परिणाम क्या निकला? हमने उस वक़्त भी कहा था कि इस देश की प्रधान मंत्री को इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देना चाहिये था...

श्री कृष्ण दत्त (शिमला) : आप बेलछी के समय कहाँ थे ?

श्री जगपाल सिंह : यह समस्या एक साल की नहीं है, हमारी प्रधान मंत्री ने बयान दिया था, इसलिये हम यहाँ पर बोले हैं।

एक बात मैं इस अवसर पर खास तौर से कहना चाहता हूँ कि 1975 में जब एमर्जेन्सी लगी थी, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पुलिस को हुकम दिया था कि जहाँ भी तार काटनेवाली बन्दायें हों, तार चोरों को गूट-एट-साइट किया जाय। इस मुल्क का हरिजन फूक दिया जाता

है और अत्याचार और कत्ल करने वाले लोग खुले आम घूमते रहते हैं, उनको शूट नहीं किया जाता ।

मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार सजग हो जाय, अर्थात् आप को 1967 की नक्सलाइट मूवमेंट को याद रखना चाहिये । उस नक्सलाइट मूवमेंट में 75 प्रतिशत लोग शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के थे । आज भी उत्तर प्रदेश की जेलों में जो 40-50 नक्सलाइट्स बन्द हैं, उनमें 30-32 लोग शेड्यूल्ड कास्ट्स के हैं । मैं नहीं चाहता कि हरिजन नक्सलाइट्स के रास्तों पर चलें, अगर उनकी समस्याओं को नहीं सुलझाया गया तो हिन्दुस्तान के हरिजनों को बाध्य हो कर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा ।

सभापति महोदय, पहली लोक सभा में जिन समस्याओं पर विचार किया गया था, आज 7वाँ लोक सभा में भी उन्हीं समस्याओं पर विचार हो रहा है—यह हमारे लिये कितने शर्म की बात है । मैं मांग करता हूँ कि उनके उत्थान के लिये एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया जाय । खास कर मैं स्पेशल कोर्ट्स का उल्लेख करना चाहता हूँ तहसील लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक स्पेशल कोर्ट बनाई जाय जो हमारे हरिजनों पर होने वाली एट्रासिटीज के मामलों पर विचार करें । मैं यह भी मांग करता हूँ कि इन कैसेज के डिफेण्ड करने के लिये जिन अधिकारियों को नियुक्त किया जाय, चाहे डी० जी० हो, ए०पी०पी० हो या दूसरे अधिकारी हों, उनको शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों में से लिया जाय, जो इमानदारी से उन मुकदमों पर कार्यवाही करें । मैं यह भी चाहता हूँ कि जो अधिकारी शेड्यूल्ड कास्ट्स के कातिलों को सजा न दिला पायें, उनके खिलाफ डिस्प्लनरी एक्शन लिया जाय, उनको सस्पेण्ड किया जाय या उनकी सर्विसिज को टर्मिनेट किया जाय । जब तक इस तरह का अहसास पैदा नहीं किया जायेगा कि हर कीमत पर इन अत्याचारियों को सजा दी जायेगी और यदि हम उन कातिलों को सजा नहीं दिला सके तो हमारी नौकरी नहीं रहेगी, तब तक यह काम होने वाला नहीं है । इस तरह का अन्तक हमें अपने अधिकारियों के मन में पैदा करना होगा, यदि हम ऐसा नहीं कर सके, तो मुल्क में जितनी बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें हैं, शहर और कारखाने हैं—सब उनके आक्रोश का शिकार होंगे, कोई भी बच नहीं सकेगा । मैं आज इस हाउस में हर पार्टी को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब हर पार्टी के नेता को भुगतना पड़ेगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ।

श्री मनोराम बागड़ी (हिसार) : ये कांग्रेस वाले मारे जायेंगे । ये गांधी टोपी वाले चुन-चुन कर मारे जायेंगे ।... (व्यवधान)...

श्री जगपाल सिंह : 32 साल तक तुमने हरिजनों को दबाकर रखा, इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? इसीलिये मैंने यह चेतावनी दी है ।

SHRI A. K. ROY (Dhanbad). I am on a point of order.

This is a very important issue which we are debating. In the House either the Prime Minister or the Home Minister should have been there. Shri Zail Singh should have been there. There should not be proxy when there is a debate on such an important matter.

MR. CHAIRMAN. This is not a point of order. But I am sure, the feelings of the hon. members will be taken note of by the Minister. Shri Ram Pyare Panika.

SHRI HARI KRISHNA SHASTRI (Fatehpur): The Minister of State in the Ministry of Home Affairs is already sitting here.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हरिजनों पर अत्याचारों का यही कारण है । आज जब कि उन की समस्या पर विचार हो रहा है सम्बन्धित मंत्री जी ही यहां से गायब है ।

MR. CHAIRMAN: I request the hon. Members to take their seats I am requesting, please take your seats. There is no point of order. But I am sure the feelings of the House are being appreciated and there is the Minister of State for Home Affairs who will take a note of it. Shri Ram Pyare Panika may continue.

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति जी, मैं आप की आज्ञा से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कमिश्नर की जो रिपोर्ट सदन में पेश हुई है, उस के ऊपर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ । मैंने कल से अपने बहुत से साथियों के विचार सुने और कमिश्नर महोदय ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस का भी पढ़ा । मैं सर्वप्रथम आप के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, जिन के लिये एक बिल—शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर अमेण्डमेंट बिल, 1976 पेश किया गया था, उस की और आकर्षित करना चाहता हूँ ।

[श्री राम प्यारे पनिका]

में कहना चाहता हूँ कि यह अक्षरी है। मैं आप को यह बताना चाहता हूँ कि सन् 1967 में उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में प्रेसीडेंट साहब ने एक स्पेशल नोटीफिकेशन निकाला था और उस में केवल 5 जनजातियाँ घोषित की गई थीं। श्री के० सी० पंत उस समय होम मिनिस्टर थे और उन की कांस्टीट्यून्सों में वे थी और उन को शेड्यूल्ड ट्राइब्स मान लिया गया था लेकिन यह जो प्रस्तावित बिल है, इस में भी उन जातियों को समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, जिन को वहाँ की सरकार ने तथा वहाँ की विभिन्न समितियों ने अध्ययन कर के, उन की एक लिस्ट तैयार की थी लेकिन वे इस में नहीं हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो नया संशोधन बिल लाया जाय, उस में उन को शामिल कर दिया जाय। मैं कहना चाहता हूँ कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रांतों में जनजातियों के मामले में अनोमलोज हैं, असंगतियाँ हैं और मैं चाहूँगा कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस बात का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दे कि कौन सी जातियाँ छूट गई हैं और जो छूट गई हैं, उन को इस लिस्ट में शामिल किया जाय।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि लिस्ट में बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं जो कि एक प्रदेश में जनजाति हैं लेकिन दूसरे में नहीं। बिहार, मध्य प्रदेश में जनजाति हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, जहाँ 50 हजार आदिवासी रहते हैं, उन को न जनजाति की लिस्ट में रखा है, न अनुसूचित जाति की लिस्ट में रखा है और न ही बैकबर्ड क्लास में रखा गया है। इस तरह से बहुत सी जनजातियाँ छूट गई हैं।

मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक निपंगद जाति है, जिस को कहीं पर केवट कहते हैं, कहीं पर मल्लाह कहते हैं, कहीं पर बिद कहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ से गंगा जी बह कर बंगाल में जाती है, इस के किनारे वे बसे हुए हैं और वे नावें चला कर और मछली मार कर अपना उद्योगधंधा चलाते हैं लेकिन राज स्वतन्त्रता के बाद यह स्थिति हो गई है कि आवागमन के बंद जाने के बाद उन का वह धंधा प्रायः समाप्त हो गया है। फरवका बांध बन जाने से जो मछलियाँ समुद्र से आती हैं, वे भी आना बन्द हो गई हैं। ये जो मल्लाह हैं, ये अन्य प्रदेशों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में उन को इन में शामिल नहीं किया गया है और उत्तर प्रदेश क तीन भागों में ऐसी स्थिति है।

अभी रावत जी बोल रहे थे। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन में कोलटा, थां, भोखसा, जिंसागी और भोटिया ऐसी जातियाँ हैं जो लिस्ट में नहीं हैं। लोहार और इस तरह से 19 जातियाँ हैं जिन को स्टेट गवर्नमेंट ने ही नहीं बल्कि सेन्ट्रल

गवर्नमेंट की स्पेशल कमेटी ने जा कर बेरीफाई किया है कि जनजातियों और अनुसूचित जातियों में आती हैं लेकिन मुझे अप-सोस है कि जो एमेंडमेंट बिल प्रस्तावित किया गया था, इस में उनका नाम नहीं दिया गया है। इस लिए मैं निश्चित तौर पर होम मिनिस्टर से कहना चाहूँगा कि वे शीघ्र से शीघ्र इस सदन में एक एमेंडमेंट बिल लावें और नये सिरे से जो पिछले 30, 32 वर्षों से सुविधाओं से वंचित रहे हैं, उन के विकास के लिए, उन की तरक्की के लिए काम हों। उत्तर प्रदेश के तीनों क्षेत्रों में आदिवासी हैं और मैं आप से कहना चाहता हूँ कि उन की हालत बहुत खराब है। हमारे यहाँ जो जानसौर क्षेत्र है वहाँ पर जो जानसारी लोग रहते हैं, वे दबे हुए हैं लेकिन ब्राह्मण और टाकुर सारी फंसीलिटीज उठा ले जाते हैं और जो हरिजन थे, वे और डिनाइड आल दि फंसेलिटीज। कोलटा और लोहार आदि भी ऐसी जातियाँ हैं, जिन को सुविधाएँ मिलनी चाहिए और मैं यह कहना चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर साहब इस लिस्ट को ठीक करें और जो हरिजन और आदिवासी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिन की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है उन को ऊपर उठावें। यह अच्छी बात है कि मंत्री जी ने फेक्ट्स को छिपाया नहीं है और सही बात कही है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में 22 प्रतिशत हरिजन और 5 प्रतिशत आदिवासी हैं। उन के लिए जो फंड्स का एलोकेशन होता है वह नाममात्र को होता है। गोंड, बेगा, खरवार, पनिका, चेरों, पठारी, भील, कोश, सहरिया, घसिया, अग्रिया कुछ ऐसी जातियाँ हैं, जिन को मध्य प्रदेश में और बिहार में तो जनजाति स्वीकार किया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश में इन को स्वीकार नहीं किया गया है। मैं चाहता हूँ कि इन को जनजाति उत्तर प्रदेश में स्वीकार करना चाहिए।

(व्यवधान)

मैं दो मिनट में ही समाप्त कर दूँगा। मैं आप से और इस सारे हाऊस से अपील करना चाहता हूँ कि प्लानिंग कमिशन ने यह आब-जरवेशन किया था कि बजट के अनुसार देश और प्रदेशों में जो इन की आबादी है, उस के हिसाब से पैसा इन को नहीं मिल रहा है। अगर उन की सुविधाएँ सुलभ हो जाए और उन की आबादी के प्रतिशत के अनुसार उन को धन आवंटित किया जाए, तो इन का समान रूप से विकास हो सकता है। आज जहरत इस बात की है कि यह देखा जाए कि कृषि के बजट में से, उद्योग के बजट में से आदिवासियों के हिस्से में कितना आया, उनको कितना मिला? सेण्ट्रल गवर्नमेंट जो कोटे और परमिट देती है, उनमें से निश्चित तौर पर और निश्चित मात्रा में आदिवासियों को भी कोटे और परमिट देने चाहिए। यही नहीं, आज उनकी सामाजिक दशा भी आप देखें। उन पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, उनका कितना शोषण हो रहा है? इन सब का कारण है जमीन। जमीन का झगडा और जाति-पात का झगडा इन दो प्रमुख कारणों से उन पर अत्याचार होते हैं।

1976 में जब इन्दिरा जी प्रधान मंत्री थीं तो साढ़े तीन हजार अत्याचार हरिजनों पर हुए थे लेकिन उसके बाद जनता शासन में साढ़े आठ हजार अत्याचार हरिजनों पर हुए हैं। यह इस रिपोर्ट में है। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि उनको ऊपर उठाने के लिए उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए, निश्चित तौर पर एक राय हो कर हमें आगे बढ़ना है। मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि उनके विकास के लिए जितनी भी योजना बनी थी, उनका कोई लाभ उन तक नहीं पहुँचा है। वे जिस प में पहले रहते थे आज भी उसी रूप में रहते हैं। आपको उनके जीवन को ऊँचा उठाना होगा। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आजादी के बाद से, सेण्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जितने कमीशन बनाये उनकी 155 संस्तुतियाँ रिपोर्टों में आयी हैं। यह मैं इसलिए जानता हूँ कि एक हरिजन के नामे मैं भी एक कमीशन का सदस्य था। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि अब तक जितने सुझाव हमारे अध्यक्षों ने दिए हैं उन पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विस्तार से हमारी समस्याओं का उल्लेख किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कितनी संस्तुतियाँ इस रिपोर्ट में दी गई हैं उन सभी को स्वीकार कर के वे हरिजन और आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को अपनाएँ तभी हमारी समस्याएं हल होंगी और हमारा जीवन उन्नत होगा।

अभी पिछले सेशन में हम लोगों के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया गया है। मैं तो आप से कहता हूँ कि हमें हमारा ड्यू शेरर मिलना चाहिए। थोड़े बहुत घड़ियाली आसू वहाने से काम चलने वाला नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप बेशक हमारे लिए रिजर्वेशन हटा दें लेकिन हमें हमारा शेरर दें। आपके रिजर्वेशन हटाने से हमें कम से कम फोर्थ क्लास की नौकरियाँ तो मिल जाएंगी। रिजर्वेशन की वजह से जो बड़े बड़े अफसर हैं वे हमें चपरासी की नौकरी पर भी नहीं रखते हैं क्योंकि वे हमें हरिजन समझते हैं और हमारे हाथ का पानी नहीं पीते हैं। आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न शिक्षा केंद्रों में हरिजनों को दूसरों की किचन में खाना खिलाया जाता है। आज देहात में अगर कोई शेड्यूलड कास्टस का अफसर जाता है तो उसे सीधे के गिलास में पानी पिलाया जाता है और एक ब्राह्मण चपरासी को दूसरे गिलास में पानी पिलाया जाता है। एक मले हरिजन अफसर को भी सीधे के गिलास में पानी पिलाया जाता है। तो हमें इस सारे मामले में एक नये सिरे से काम करना पड़ेगा तभी हमारी समस्याएं सुलझ सकेंगी।

*श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन):
अध्यक्ष जी मैं सरकार का ध्यान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के आयुक्त की 25वीं रिपोर्टों को और आकर्षित करना चाहता हूँ।

हमारे देश की स्वतंत्रता के 33 वर्ष बाद अब तक इस आयोग के 25 प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुके हैं। प्रत्येक प्रतिवेदन में कोई 150 पृष्ठ होंगे। इन सब के सारे सुझावों में से प्रति वर्ष एक-एक सुझाव पर केवल 25 सुझावों पर ध्यान देकर उन्हें कार्यान्वित किया गया होता तो देश के हरिजनों और आदिवासियों की आज जो हालत है, वह न होती।

अध्यक्ष जी, हरिजनों की उन्नति क्यों नहीं होती है? क्यों छुआछूत हटती नहीं है? उसके कुछ कारण मैं बताता हूँ।

सबसे प्रमुख कारण यह है कि दस वर्षों के पहिले गांवों में रहने वाले लोगों में हरिजनों के प्रति दया की भावना थी। दस वर्षों के बाद इस भावना में परिवर्तन आया है। वे लोग अब हरिजनों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष करने लगे हैं। परिणामतः हरिजनों का जो हाल था, उसमें भी परिवर्तन आ गया है। आज हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वह हमारे लिए शर्मनाक हैं उनको रोकने के लिए मैं जो सुझाव दूंगा उसमें मैं राजनीतिक रंग लाना नहीं चाहूंगा। किन्तु एक बात अवश्य कहूंगा कि आज हमारा समग्र हिन्दू समाज चाहे जोई भी पार्टी हो, सब हरिजनों को ईर्ष्या और द्वेष की दृष्टि से देखता है।

तीन लोगों की एक टोली है। तीनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक भाई हरिजन की हत्या करता है, एक भाई पुलिस अधिकारी की हैमियत से जांच करता है और तीसरा मैजिस्ट्रेट के रूप में मुकदमा चलाकर फैसला देता है। इस हालत में हरिजनों का कल्याण कैसे होगा?

श्रीमन्, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज भारत में बसने वाला सारा हिन्दू समाज दिल से हरिजनों की उन्नति नहीं चाहता है। यदि ऐसी ही हालत जारी रही, तो सारा हरिजन समाज इस पर विद्रोह करेगा। परिणामतः इससे देश का नुकसान ही होगा। यह स्थिति बनने के पहले सरकार इस पर ध्यान दें।

मैं इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा:--

इस देश में कुल आबादी का 21 प्रतिशत भाग हरिजन है। इसलिए इन लोगों की उन्नति के लिए बजट में 21 प्रतिशत राशि की व्यवस्था करनी चाहिए।

हरिजनों की सुरक्षा के लिए विशेष अदालतों का गठन होना चाहिए।

उतना ही घोषण हो रहा है जितना इस हिन्दुस्तान में कमजोर वर्ग के गरीबों का हो रहा है ।

16.08 hrs.

SHRI CHARANJIT YADAV in the chair.

सभापति जी, यह सवाल हरिजननों और आदिम जातियों का नहीं है, यह समाज दो भागों में बंट चुका है—गरीबों और धनवानों में । गरीबों और शोड्यूल्ड कास्ट्स लोगों पर जो भ्रत्याचार किये जा रहे हैं, उनमें इस पूंजीवादी समाज का पूरा हाथ है । वह नहीं चाहते हैं कि जो सवर्ण कहाने वाले हैं, वह उसका कुछ दिन तक साथ दें । जब तक हम लोग अनेक जातियों, धर्म, और भाषा के रूप बंटकर रहेंगे, तो वह ज्यादा दिन तक राज्य कर सकेंगे । इन सब समस्याओं का राजनीतिक कारण यही है ।

आज जितने भी हमारे शोड्यूल्ड कास्ट्स और शोड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग यहां पर प्रतिनिधि के रूप में आये हैं, सभी दोष दे रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया । सरकार का पूरा दोष है, मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप सरकार से बाहर हैं ? आप भी तो उस सरकार में शामिल हैं । आपने भी उसकी सत्ता में जाने के लिए हाथ बंटाया है, आज भी बंटा रहे हैं और आगे भी बंटाने के लिए तैयार है ।

प्रश्न यह है कि हमारे देश में ऐसा कोई दल नहीं है, जो पूंजीवादी समाज-व्यवस्था का अन्त करके हर एक मनुष्य को समान अवसर देने के लिए तैयार हो । ऐसा दल है । हिन्दुस्तान में पहली दफा केरल, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में शोड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ इमानों का सा व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें आगे बढ़ने के पूरे अवसर दिये जा रहे हैं । हमारे देश में जितने बूजवा दल हैं, कांग्रेस (आई), कांग्रेस (अर्स), जनता पार्टी और लोक दल आदि, उनको नीति तो यह रही है कि कमजोर वर्गों को अपने राजनतिक स्वार्थों के लिए एक्सप्लायट किया जाये । इन प्रदेशों से उन दलाल दलों का एक भी नुमाइंदा इस हाउस में नहीं आ सका है । शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को, जिनके लिए हम सारा रोना रो रहे हैं, यह विचार करना पड़ेगा कि कौन सा दल उनके लिए लाभदायक होगा, जो उन्हें सुख-सुविधायें पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा ।

इस दल के लोग जब उत्तर प्रदेश और बिहार में मार्क्सज्म-लेनिनज्म के प्रचार के लिए जाते हैं, तो बूजवा दल उन्हें नक्सलाइड्स कहते हैं । उन्हें गोली का शिकार बनाया जाता है और जेल में उनपर भ्रत्याचार किये जाते हैं । बूजवा दल मेहनतकश जनता में जाति, धर्म और भाषा के भेद पैदा करके उसका एक्सप्लायटेशन करते हैं ।

मंजी बहुदल यह स्वीकार कर चुके हैं कि इस संबंध में यदि कुछ काम किया गया है, तो वह मिशनरियों ने किया है । उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ । लेकिन मैं उनकड़े-याव विलाना चाहता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन काल में मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, और जनता पार्टी के शासन काल में अरुणाचल प्रदेश में, एन्टी कमबैचिंग कानून पास करके लागू किये गये हैं । मिशनरी लोग इन वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देते हैं और आदमी बनने के रास्ते में उन्हें आगे से जाने में मदद करते हैं । इससे बूजवा पार्टियों और उनके नुमाइंदों को तकलीफ होती है । वे सोचते हैं कि अगर ये लोग शिक्षित हो कर अपने हकों के लिए लड़ने लगे, तो फिर हमारे लिए जगह नहीं होगी ।

आज इन वर्गों पर जो भ्रत्याचार होते हैं और उनके गांव के गांव जला दिये जाते हैं, आज की स्थिति में यह स्वाभाविक है ही । काली मां के सामने मेमने की बलि चढ़ाई जाती है । लेकिन आज तक किसी पंडित ने यह नहीं कहा है कि काली मां बहुत शक्तिशाली है, इस लिए उसके सामने मेमने के बजाये बाघ या सिंह जैसे बलशाली जानवर की बलि चढ़ाई जाये । आज की धनवादी व्यवस्था में पच्चीस ब्या पचास रिपोर्टों से भी इस समस्या का हल नहीं होने वाला है । बल्कि आगे चलकर यह समस्या और भी गंभीर हो जाएगी ।

बिहार में मिशनरी केरल से आये और उन्होंने वहां पर हरिजननों के लिए स्कूल खोले । है हाल ही में पिपरा गया हुआ था, सासाराम गया था, वहां पर मैंने देखा, वहां हरिजननों के बच्चों को पढ़ाने के लिये जो सिस्टर अपना घर बार त्याग करके गई हुई थीं, तीन तीन सौ, चार चार सौ बच्चे जिनके स्कूलों में पढ़ते थे उन सिस्टरों के स्कूलों पर धावा बोल दिया गया, उन को पीटा गया और उन के सामान की खोरी भी की गई । फावर मैथ्यू को मार दिया गया । इसी तरह मिशनरियों को मध्य प्रदेश में फ्री मूवमेंट की छूट नहीं है, उड़ीसा में नहीं है और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है । वहां एंटी कमबैचिंग एक्ट लागू किया गया है । यह व्यवस्था इसलिये की गई है कि आदिवासियों को, हरिजननों को, बैकवर्ड क्लासेज को और दूसरी जितनी गरीब जनता है उस को ज्यादा दिन तक अन्धकार में रखा जाय और पूंजीपति वर्ग बढ़ते जायें और ज्यादा से ज्यादा उनका घोषण करते रहें । इस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है । मेरा यह कहना है कि इस व्यवस्था को बदलने के लिये हमारे आदिवासियों को, शोड्यूल्ड कास्ट्स को और जो शोषित जनता के लोग हैं उन को एक ही जानना चाहिये, सभी इस अन्याय और भ्रत्याचार को एकजुट हो कर हम समाप्त कर पायेंगे । उस में हमारी सभी गरीब जनता एक साथ रहेगी । जो उच्च वर्ग के कहलाने वाले हैं, जिनका केवल नाम उच्च वर्ग है लेकिन जिन का स्थान हमारे साथ है, गरीब लोगों के साथ है,

[श्री पीयूष तिरकी]

वे भी हमारे साथ होंगे। अभी पश्चिमी बंगाल में एक बहुत बड़ा काम इस तरह से हुआ है। जिस में बिना वर्ग, बिना वर्ग, बिना धर्म और बिना किसी प्रकार के निषेध के सभी जातियों के लोग एक ही कर भाने बढ़ रहे हैं। सभी शोषित जनता एक साथ चल रही है जो शोषण करने वाले हैं उनके विरुद्ध लड़ाई करने के लिये। ऐसा जब हम करेंगे तभी यह जाति और समाज जो है, जो यह हरिजन आदिवासी इत्यादि के नाम से टुकड़े-टुकड़े करके इन को विचार के लिये लाया गया है इनकी समस्या का समाधान होगा।

बेकारों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है ट्राइबल में वह मैं बताना चाहता हूँ 1956 में 7 लाख 58 हजार बेकार थे और 1977 में 1 करोड़ 9 लाख 28 हजार बेकार बन गये। यह संख्या मैं जो कमजोर वर्ग के आदमी है उनको बता रहा हूँ। उनमें कितनों को काम मिला यह आप देखें, उन को परसेंटेज इस प्रकार है—1956 में 25.07 परसेंट 1960 में 19.05, 1965 में 22.05, 1970 में 10.16, 1971 में 9.92, 1973 में 6.32, 1974 में 4.71, 1975 में 4.33, 1976 में 5.08 और 1977 में 8.23 परसेंट। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि बेकारों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। हम जो यहां पर उनके लिये बहस कर रहे हैं और अपनी हमदर्दी दिखा रहे हैं वह ऐसी ही है जैसे चीन के देश में कोई आदमी मर जाता है और उस के पीछे कोई रोने के लिये नहीं होता है तो कुछ पैसे दे कर रोने के लिये कुछ आदमी रख लिये जाते हैं। इस तरह पैसे ले कर आदमी उस के पीछे रोने के लिये आ जाते हैं। इसी तरह यहां पर जो शोषित जनता है और मेहनतकश जनता है उस के लिये रोने के लिये पार्लियामेंट एक अच्छी जगह है जहां इस तरह कम से कम एक बार उस शोषित जनता के लिये आसू बहाये जाते हैं इस तरह से कि आगे चल कर फिर दूसरे वर्ष रोने के लिये ज्यादा से ज्यादा एदासिटीज उनके ऊपर हो जिस से और ज्यादा से ज्यादा रोया जा सके। यह अवस्था आज है। इस लिये मेरा कहना यह है कि इस सामाजिक व्यवस्था को ही पलट देने के लिये हमारे जितने भी शोइयूल्ड कास्ट और शोइयूल्ड ट्राइबल और दूसरे इस तरह के लोग हैं उन को एक ही जाना चाहिये। सरकार को अगर इतनी भी हमदर्दी उन से है तो कम से कम यह सुविधा दे दे, मंत्री महोदय नोट कर लें, बहुत सारी सुविधायें उन्हीं दी हैं, एक ही काम वह कर दें कि राइट टु वर्क फार आल दि शोइयूल्ड कास्ट ऐंड शोइयूल्ड ट्राइबल पीपल ऐंड राइट टु लाइफ का प्राविजन फंडामेंटल राइट्स में कर दें। फिर वह देखेंगे कि इन की समस्या एक ही महीने में 80 प्रतिशत हल हो जायेगी। अगर आप इन का भला चाहते हैं तो यह आप कीजिए। अधिक बोलने के लिये चूक समय नहीं है इस लिये मैं यही समाप्त करता हूँ।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : सभापति महोदय, आज 33 गिरिजन हरिजन आयोग का 25 वीं

रिपोर्ट पर बहस हो रही है उसमें मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ। पिछले 33 वर्षों में हम सभी लोगों ने महसूस किया कि गिरिजन हरिजन लोगों की जो तरक्की हम करना चाहते थे वह नहीं हो पाई। 25 बार इस चीज को हम दोहरा चुके हैं इस बार छठे प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में भी भाया है कि इन लोगों की संतुष्ट और समाजिक विषमता अभी तक कम नहीं हुई है। एक तरफ तो सभी लोग मंजूर करते हैं कि यह लोग पिछड़े हुए हैं, इनको जल्दी ऊपर उठाना चाहिए लेकिन दूसरी ओर एक चिन्त हम ने यह भी देखा है, मिसाल के लिए कुछ दिनों पहले एक कालेज में मुझे जाने का मौका मिला, कालेज में जैसा आप जानते हैं छात्र सवाल जवाब करते हैं वहां सबके हिन्दू बच्चों ने गुरु से पूछा कि क्या बजह है जो आपने हरिजनों और गिरिजनों को अपना दामाद बनाया सोचा है। तो आप याद रखिए कि धीरे धीरे कृद्वीगर कौम के लोगों में यह भावना फैलती जा रही है कि हरिजनों और गिरिजनों को कुछ ज्यादा चीजें दी जा रही हैं। एक तरफ तो हम 33 साल में इन लोगों की कोई तरक्की नहीं कर पाए और दूसरी तरफ इन वर्गों के लिए हमने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिससे कि दीगर कौम के लोगो ने इनको अपना दुश्मन समझना शुरु कर दिया है। मैं चाहता हूँ यह सदन इस चीज पर गौर से सोचे और इसका निराकरण अगर हम इस भावना को नष्ट करना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है और वह यह है कि जैसा गृह मंत्री, ज्ञानी जैल सिंह ने यहां पर बताया था कि हम संविधान संशोधन के द्वारा जो दस साल का समय बढ़ाना चाहते हैं पिछड़ी हुई जातियों को दीगर कौमों के बराबर 10 साल में लाए। अगर उनके इस कथन में सच्चाई है और दिस से वे इस बात को चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं, वे अपने वाले दस सालों में इन कौमों को इतना आगे लायें कि वे दूसरे लोगों के साथ हो जायें। अगर वे इसमें नाकामयाब आदमी हैं तो याद रखें दीगर कौमों उन के खिलाफ हो जायेंगी और आज जो जातीय तनाव पैदा हो गया है वह आगे और बढ़ने वाला है।

मैं यहां पर एक आदिवासी क्षेत्र से भाया हूँ इसलिए मेरे भी कुछ सुझाव हैं। अनुसूचित जातियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन आदिवासियों के बारे में भी हमारे लिए कुछ करना जरूरी है। आप जानते हैं यह लोग जंगलों में रहते हैं। मैं महाराष्ट्र के बारे में कह रहा हूँ, और स्टेट्स में भी यह होगा फारेस्ट डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट बने देखी है, उसमें लिखा है कि कुछ ऐसे उद्योग शुरू किए जायें, फारेस्ट बेल्ट जिनसे वहां पर लोगों को कुछ काम मिल सके। यह बात बिलकुल सही है और इसको करना बहुत जरूरी है लेकिन मैं ने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर देखा है, वहां पर मुझे कोई कारखाना नहीं मिला। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज मैंने श्री जाज फर्नेंडीस से पूछा क्या यह सही है कि आपने अपनी मिनिस्ट्री-

जिप के टाइम में महारष्ट्र के आदिवासी पिछड़े इलाके को बचन दिया था कि मराठावाड़ इलाके में एक मिनी सीमेंट प्लांट डाला जायेगा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने यह बचन दिया था। मैंने पूछा यह क्यों नहीं हो रहा है, दो साल तक तो आप भी मिनिस्टर रहे थे तो इन्होंने कहा कि सीमेंट की लाबी इतनी बड़ी है कि वे मिनी सिमेंट प्लांट आदिवासी क्षेत्र में खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीजों को रोके और पूरे बल के साथ रोके ताकि पिछड़े हुए इलाकों में उद्योग शुरू हो सकें और उनसे लाभ उठाकर वहाँ के लोग आगे बढ़ सकें।

कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बातें कही हैं। रिजर्वेशन आफ सीटस जो है वह गवर्नमेंट सर्विसेज में और कार्पोरेशन में पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वाल्व करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें अगर हम पिछड़ी कौमो को प्रापर नुमाइन्दगी नहीं देंगे तो इनकी उन्नति नहीं हो सकेगी। हमारा कर्तव्य है कि प्राइवेट सेक्टर को हम मजबूर करें कि वे भी कुछ तादाद में इन जातियों के लोगों को अपने यहाँ भरती करें।

कमीशन ने इस बात को भी कहा है कि प्रापर रिजर्वेशन आफ सीटस हो रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए जितना स्टाफ चाहिए वह भी नहीं दिया गया है। बड़े अफसरों की बात है कि 25 साल हो चुके हैं इतने सफ़्लर निकाले गए, इतने प्रारशासन दिए गए लेकिन इस बात को पूरा नहीं किया गया। लेकिन इन सब को देखने के लिए जो एक मशीनरी होनी चाहिए, वह आज भी नायब है। मैं आप से माग करूंगा कि एक मशीनरी बनाकर कमीशन को दे दें। ताकि वह उस पर कार्यवाही कर सके। मैं एक चीज और बतलाना चाहता हूँ कि यह जो कमीशन का निर्माण होता है वह एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर गवर्नमेंट आफ इण्डिया से होता है। आपने देखा, जब ब्यूरो आफ पब्लिक अण्डरटैकिंग से उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ कितने हरिजन बच्चे भरती किए गए, उन लोगों को इस प्रश्न का जवाब देना मुश्किल हो गया है। अगर आप की कार-पोरेशन इस तरह का रूप अखतियार करती है, गवर्नमेंट विभाग और राज्य सरकारों से भी पूछने पर वह इन बातों को अमल में नहीं लाता है, तो यह बहुत ही दुख की बात है। इस लिए मैं मकवाना जी से गुजारिश करूंगा कि वे एक बिल लायें, इस तरह का बिल पिछले बचन लाया गया था, जिसमें हमने सोचा था कि इसको कान्टीचूशनली एक स्टेचूटरी बाडी हम बनायेंगे ताकि जब वह गवर्नमेंट से या कारपोरेशन से पूछें कि कितने बच्चे भरती किए गए, तो उसके लिए यह जवाब देना लाजमी हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यहाँ हरिजन और गिरिजन के नुमान्दे हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर यानि संसद में और एसेम्बलियों में जगहें प्रारक्षित हैं, लेकिन एक ऐसा ही पिछड़ा समुदाय है, जिसको अधिक सेवकन कह सकते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस कह सकते हैं, इन लोगों के लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छे कदम नहीं उठाए गए हैं। यह बड़े दुख की बात है। मैं माननीय मकवाना जी से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए आयोग का निर्माण किया है उस आयोग से कहें कि वह जल्दी से जल्दी सिफारिशें पेश करें, ताकि सैन्ट्रल गवर्नमेंट पर जो उन्होंने जिम्मेदारी डाली है उसमें वे पूरा सहयोग दे सकें।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि आदिवासी क्षेत्र में जो स्कीमो मन्वर की जाती है, उन स्कीमो के लिए पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं होता है और पैसा मिलने के बाद भी यह देखा गया है कि सरकार की या पार्टी के लोगों की नीतियाँ ऐसी होती हैं कि वह काम, वह स्कीम सफल नहीं हो सकती या शुरू नहीं हो सकती। मैं अपने यहाँ की स्कीम के बारे में माननीय मकवाना जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरे धारुके में 133 भवाजियात हैं, जहाँ पर आदिवासी रहते हैं। वहाँ दो साल पहले "किनवट" में एक काटेज-हास्पिटल तीस वेड वाला बनाने की बात थी और उसके लिए कुछ रकम भी रखी गई थी। हमारे बुजुर्ग, जो कि किसी समय में हमारे नेता भी रहे थे, उनको लगा कि किनवट के पास यह काटेज-हास्पिटल नहीं होना चाहिए और उन्होंने कोशिश करके यह सवास बी०पी०सी०सी० में उठाया और वह काटेज-हास्पिटल आज तक नहीं बना। मुझे याद है, ढाई साल का घर्सा हो चुका है, मकवाना जी ध्यान दें—जो आदिवासियों को काटेज हास्पिटल से लाभ नहीं मिल रहा है, वह लाभ बराबर मिले और वहाँ के लोगों की तन्दहस्ती की ओर ख्याल रखें।

मैं आपके माध्यम से फिर एक बार दोहराते हुए कि एक स्टेचूटरी बाडी बनाइए, ताकि कुछ काम हो सके—नहीं तो बुद्धिवा कहती है, सुनता कौन है। इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमती सहोवरा बाई शय (सागर): सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देती हूँ, आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सागर जिले से चुन कर आई हूँ, वैसे मैं पहले भी तीन दफा इस सदन में चुन कर आ चुकी हूँ और इस बारचीथी दफा चुन कर आई हूँ। हमारे सागर जिले की सीट हरिजन सीट है, जो बहुत ही पिछड़ा भूभाग क्षेत्र है। वहाँ पर पिछले दिनों पानी नहीं बरसा जिससे वहाँ पर ज़ाही ज़ाही मची हुई है।

[बीमती सहोदरा भाई राय]

हरिजनों के लिए वहाँ कुछ भी भी नहीं बचा है, न उनके पास कोई सज्जदारी है, न कोई धन्धा है, दोनों बक्ल की रोटी भी उनको मिलनी मुश्किल हो गई है। पिछले दिनों जब मैं उनके पास गई, तो वे लोग मुझसे कहते लगे, "भाई, भाई सास में जनता पार्टी ने हमें बड़ा परेशान किया है। हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ हमारे पास था सब लूट कर ले गये। हमारे लिए काम धन्धे का कोई इन्तखाम नहीं किया, कोई भी मेम्बर हमारे पास पूछने नहीं आया।" मैंने कहा कि मैं आप के पास भाई हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुन कर भाई हूँ, इसलिए मैं अबश्य तुम्हारी सेवा करूँगी।

सभापति महोदय पिछले द्वाइ सालों में इस देश को उजाड़ कर रख दिया, कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए मैं आप से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे हरिजन और आदिवासियों के लिये कुछ ऐसे काम धन्धे खोलें जायें जिस से वे लोग काम में लग सकें और अपना गुजारा कर सकें।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि हमारे सागर जिले में बीड़ी बनाने का काम काफी जोरों से होता था, जिसमें हमारी महिलायें भी काम करती थीं। लेकिन अब वह काम बहुत कम हो गया है, पहले उनको हफ्ते में चार दिन का काम मिल जाता था, लेकिन अब दो दिन का काम भी नहीं मिल रहा है। वहाँ पर यह काम ज्यादातर गुजराती भाईयों के हाथ में है। मैंने उनसे कहा कि उनको यह काम दिया जाना चाहिये, लेकिन उस तरफ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बूँक इस साल पानी नहीं बरसा है, पूरे क्षेत्र में भ्रकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से काम नहीं मिल रहा है, जिस से उनके सामने बहुत कठिनाई पैदा हो गई है। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि वहाँ कोई ऐसा कारखाना लगाया जाये जिससे उनको काम मिल सके, धन्धेबा वहाँ विद्रोह होने वाला हैं। बड़े लोग, जो धनी हैं, वहाँ रो अपनी गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन ये गरीब कहाँ जायें ?

पिछले दिनों वहाँ पानी न बरसने के कारण पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है। जब इन्दिरा जी हमारे उस क्षेत्र में गईं, उसी वक्त वहाँ पानी बरसा। हमने कहा—इन्दिरा जी भाई, पानी ले भाई। इन्दिरा जी के जाने से उनको बहुत तसल्ली हुई और यह उम्मीद पैदा हुई कि अब उनके लिये कुछ होगा।

हमारे हरिजनों को हमने 20 सूची कार्यक्रम के अधीन जो जमीन दी थी, जनता पार्टी ने उनके पट्टों को कैंसिल कर दिया, वह जमीन उनसे छीन ली गई और खुद उस जमीन को खा गये। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उनको जो जमीन दी गई थी, वह उन्हें वापस दी जाये, उसके पट्टे उन्हें वापस किये जायें। जिससे वे उन जमीनों में फिर से अपना काम आरम्भ कर सकें।

हमारे यहाँ जो जंगल का डिपार्टमेंट है, जिसको बन-बिनाग कहते हैं, उसके अधीन जो जंगल हैं उनमें हमारी आदिवासी महिलायें लकड़ी लेने जाती हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। मैं चाहती हूँ कि उनको लकड़ी ले जाने की छूट दी जाय। वे अपने मूढ़ पर लकड़ी उठा कर ले जाती हैं—उनको आधिकार हो कि वे उस लकड़ी को ले जा कर बेंच सके और अपनी गुजर बसर कर सकें। इस साल भ्रकाल पड़ा है, इसलिये कम से कम यह सुविधा उनको इस साल अबश्य दी जानी चाहिये।

मैं इस बात को फिर से कहना चाहती हूँ कि हमारे सागर जिले की दमोह तहसील और शाहगढ़ में हालत बहुत खराब है। हमारे यहाँ लोह का भण्डार निकला है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ खोहे का एक बड़ा कारखाना खोला जाए, जिस से वहाँ की जनता को उस कारखाने में काम मिल सके।

मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत से साथियों ने यहाँ पर उन बातों को रख दिया है। मैं मंत्री जी से एक बात कहना चाहती हूँ कि वे यहाँ पर ही न बैठे रहें, पालियामेंट के इस अधिवेशन के बाद वे हमारे इलाके का दौरा करें और स्वयं देखें कि वहाँ पर क्या हालत है। वे यहाँ पर बैठ कर गर्मागर्म भोजन करें और हमारे आदिवासियों को कुछ भी न मिले यह ठीक नहीं है। जब आप उस क्षेत्र का दौरा करेंगे तब आप को पता चलेगा कि हरिजनों पर वहाँ क्या बीत रही है। किस तरह से उनको मारा जाता है, सताया जाता है, जलाया जाता है। जब पहले हमारी कांग्रेस पार्टी का राज्य था, तो हमारे हरिजनों की भ्रच्छी तरक्की हुई लेकिन जब जनता पार्टी का राज्य आया, तो उन के राज्य में हरिजनों को लूटा गया। श्री जगजीवन राम जी ने भी हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया और वे प्रधान मंत्री बने नहीं, जबकि वे प्रधान मंत्री बनना चाहते थे। इस तरह से जब उनके राज्य में हरिजनों के लिए कुछ नहीं हुआ, तो हरिजनों का नाश हो गया। उधर जब चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपना सुखड़ा फैलाया और सिबाय जाटों के दूसरों को नहीं लिया। उन्होंने जाटों के लिए ही सब कुछ किया और हमारे लिए कुछ नहीं किया। इस तरह से दोनों ने देश को मिटा दिया और जब देश मिट गया और कुछ नहीं बचा तो हमारा सब सोना खजाने से ले गये, हमारा सारा गल्ला ले गये और अमेरिका से जो पैसा आया वह भी ले गये और सब कुछ ले कर चले गये और जब शासन नहीं चला तो छोड़ कर भाग गये। अगर इन्दिरा जी न होती, तो यह देश नहीं बचता, यह देश मिट गया होता और दूसरे लोग चढ़ गये होते। चाहे हरिजन हो, आदिवासी हो, गिरीजन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रीय हो या वैश्य हो, इस देश में सब को एक हो कर सुधार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश प्रागे नहीं बढ़

सकता। हरिजन जो हैं, वे तो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं। वे आप के यहाँ हल खेतते हैं, मजदूरी करते हैं, आप की गाय बकरी हाकती हैं और हमारे यहाँ की झीरों, गोबर पायती हैं। हमारे हरिजन तो आप के ये सब काम करते हैं और आप लोग मौज मारते हैं। हमारे आदिवासी हरिजन लोग खेतों में काम करते हैं और वहाँ से अपना खाना खा कर आप के बरतों में रखते हैं। उस वक्त छुआ छूत नहीं मानते लेकिन जैसे छुआछूत मानते हैं। जब घर पर काम पड़ता है, तो कहते हैं कि बहन जी, हमारे यहाँ जा कर गोबर पाख दो और यह काम कर दो और वह काम कर दो। इस तरह वे सब काम करवा लेते हैं लेकिन जैसे अगर उन से छू जाए, तो जा कर नदी में स्नान करते हैं, जैसे छुआ छूत को मानते हैं। इस तरह से हरिजनों का उत्थान नहीं होने वाला है। हरिजनों को नाना प्रकार की गाली देते हैं, नाना प्रकार की तकलीफें देते हैं। अगर आप ने हमारी बातों को नहीं समझा, तो कहीं ऐसा न हो कि हम भी एक खंड भ्रमण से बना लें। जैसे इसाइयों ने बना लिया है, मुसलमानों ने बना लिया है, ऐसे ही अगर हरिजनों का काम नहीं हुआ तो वे न बना लें। आज एक हिन्दू मुसलमान हो जाता है तो उसके साथ रोटी खा लेते हैं, आदिवासी के साथ रोटी खा लेते हैं, लेकिन अगर कोई चमार है या भगी है, मेहतर है, तो उसके साथ रोटी नहीं खा सकते। जब काम का समय आता है, तो गले लगा लेंगे लेकिन जैसे छुआछूत बरतते हैं और अगर कहीं उन से छू जाए, तो नदी में जा कर स्नान करते हैं। जब तक हरिजनों के साथ ऐसी बातें चलेंगी तब तक उनका उठार नहीं हो सकता। हमारे पास न जमीन है, न कपड़ा है, न मकान है और न भेड़ बकरी हैं और न ही हमारे लोगों को नौकरी मिलती है। बड़े बड़े अफसर बनते हैं, तो आप लोग बनते हैं, मिनिस्टर बनते हो, क्लक्टर, डी०आई०जी०, एस०पी० और सब कुछ बनते हो लेकिन अगर कोई हरिजन पढ़ लिख जाए, तो उसको भी मौका दीजिए। आज तो उनको मौका नहीं दिया जाता है। उनको अच्छी नौकरी भी नहीं है। नौकरी के साधन उनके लिए नहीं हैं लेकिन अगर कोई हरिजन अफसर बन जाता है, तो नौकरशाही नाक में दम कर देता है और वह हम से जलती है और कहती है कि यह चमार हमारे ऊपर चढ़ कर अफसर बन गया। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, आप इस पर गौर करिये, आप इन को समझाइए कि हरिजन और दूसरे सब लोगों को मिल कर चलना चाहिए। आप तो पढ़े लिखे हैं। जब तक सब मिल कर साथ नहीं चलेंगे, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा और देश पीछे रह जाएगा। देश का सुधार करना है, तो सब को मिल कर काम करना चाहिए, नहीं तो अगर आपस में लड़ते रहे, तो कहीं दुश्मन चढ़ न आए। इस लिए देश को आगे ले जाने के लिए उनको समझाइए। अगर आप चार रोटी खाते हैं, तो एक रोटी उनको भी खाने के लिए दीजिए।

आज जो रोटी रोटी की लिए मारे मारे फिरते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती। हर एक प्रदेश में और जिले में यही हालत है। इसलिए मैं आप से अपील करती हूँ, पार्लियामेंट के मेम्बरो से अपील करती हूँ और सभापति महोदय आप के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि वे ऐसा कानून बनाएं जिससे हरिजन भागे बड़े और देश उन्नति करे और वहाँ पर विदेशी न जाने पावें। आप हमारे प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्रियों को मदद दीजिए। हम आप की सेवा करेंगे। अपने देश के लिए सड़ने के लिए तैयार हैं। जब कभी देश पर खतरा आता है, तो आप लोग छोड़ कर भाग जाते हैं लेकिन हमारे में शक्ति है, जितनी शक्ति हरिजनों में है, उतनी आप में नहीं है। अगर हरिजन न होते, तो देश आगे नहीं बढ़ता। हरिजनों ने सारे देश को बचाया है। इसलिए हम लोगों को उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए।

मैं ने टूटी फूटी भाषा में अपने विचार रखे हैं, उन पर मंत्री जी ध्यान दें। आप इन को समझाइए और तभी स्थिति सुधर सकती है।

इन शब्दों के साथ मे समाप्त करती हूँ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, आज बड़ी खुशी की बात है कि मुझे पहली बार इस सदन में कुछ कहने का मौका मिला है। मान्यवर, राज्य मंत्री श्री मकवाना साहब ने कल इस सदन में अनुसूचित जातियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि यदि आर्थिक रूप से हरिजनों को समृद्ध बना दिया जाए तो संभवतः इस मुल्क के हरिजनों का कल्याण हो जाएगा। महोदय, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया है कि 66 परसेंट बन्धुभा मजदूर हरिजनों में हैं और 18 परसेंट अनुसूचित जनजातियों में हैं। किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि इन बन्धुभा मजदूरों के लिए हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि इस बन्धुभा मजदूरी की प्रथा को खत्म किया जा सके ?

महोदय, दो दिन से, या यह कहा जाए कि जब से सत्र प्रारम्भ हुआ है तब से रोज एक-एक हरिजनों यह पर हुए प्रत्याचार की घटना की इस सदन में चर्चा की जाती है। कभी पिपरा काण्ड की, कभी प्रन्स-सुकीका-काण्ड की, कभी भलीगढ़ काण्ड की और कभी किसी और काण्ड की। लेकिन इन सब काण्डों में आज तक केवल एक-दो लोगों की प्रत्यक्षता की गई। हमारी प्रधान मंत्री जी ने, जिन्होंने कि पिछले दिनों यह वायदा किया था कि यदि मेरी सरकार होगी तो हम हरिजनों को सुरक्षा की पूरी गारन्टी देंगे, अभी तक कुछ नहीं किया।

बम्बई के फीमेल जर्नल व पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2,609 प्रन्स-सुकीका-काण्ड, 1,36,200 भलीगढ़ काण्ड, 3,795 लूट

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

और 1,324 इकैती की घटनायें केवल दो वर्षों में हरिजनों के माथ मध्य प्रदेश में हुईं। यह एमरजेंसी और उसके बाद का काल था। महोदय, बाप के सामने बैठे के साथ बलात्कार किया गया। भाई के सामने वहुन के साथ बलात्कार होता रहा लेकिन बाप और भाई विवश होकर देखते रहे। हरिजनों के सम्बन्ध हमें यह हमारे देश की अवस्था रही है। इसके बावजूद भी हमारा देश और हमारी सरकार खामोश रही और इसलिए यह सरकार खामोश रही क्योंकि अत्याचारी नान हरिजन थे। आज हरिजनों के लिए तमाम उपाय बताये जा रहे हैं और यह रिपोर्ट की प्रकाशित की गई है। समझ में नहीं आता कि इस वर्गदी और बलात्कार की समाप्ति क्या ऐसी रिपोर्ट मात्र छाप देने से हो जायेगी ?

महोदय, जहाँ तक हम समझते हैं कि इस हाउस में दो दिन की चर्चा के दरम्यान तीन बातें हरिजनों की तरफकी के लिए कही गयी हैं। एक तो सब से पहले उनकी आर्थिक शक्ति प्राप्त करने की बात कही गयी है। दूसरी बात राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कही गई और तीसरी बात सामाजिक शक्ति प्राप्त करने की कही गयी है। हमारे मंत्री जी ने जिन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया उन्होंने आर्थिक शक्ति प्राप्त करने की बात कही और कुछ माननीय सदस्यों ने राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की बात कही। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि केवल आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने ही से हरिजनों का कल्याण नहीं होगा। जबकि सबसे जरूरी है कि उन्हें सामाजिक शक्ति प्राप्त हो।

आज मुझे दो साल पहले की एक बात याद आ रही है जब कि हमारे बाबू जगजीवन राम जी इस देश के रक्षा मंत्री थे तो वे बनारस गये थे। यह बात सँ एक नजीर के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनके पास देश की सब से बड़ी शक्ति की ताकत थी और आर्थिक रूप से भी एक रिकशा चलाने वाला अथवा एक मजदूर के रूप में काम करने वाले हरिजन से कही वहुत ही ऊंचे थे। ये दोनों अघिकार उन्हें प्राप्त थे। उन्हें आर्थिक शक्ति भी प्राप्त थी और राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त थी। लेकिन जब वे बनारस गये, मैं नहीं जानता कि इस हाउस में मूझे यह बात कहनी चाहिए या नहीं -- तो उनसे यह कहा गया कि -- "जग्गू चमार वापस जाओ, वापस जाओ।" "दिल्ली से चमरा लाया सन्देश, जैस चराये राम नरेश। जूता पालिश कौन करेगा-- चमार करेगा, चमार करेगा।" वह वहाँ के तथा कथित ब्राह्मणों ने कहा था और माननीय कमलापति त्रिपाठी के जो घर के लोग हैं उन्होंने कहा था। यह शब्द इसलिए कहे गये क्योंकि उनके पास सामाजिक शक्ति नहीं थी। अगर सामाजिक शक्ति होती तो उनके लिए यह शब्द न कहे जाते।

हरिजनों और दबे हुए लोगों को दबाने और जलाने में धर्म और वर्ण व्यवस्था का हाथ है। सबसे पहले हमें धार्मिक ग्रंथों पर विचार करना

होगा। मैत्रियानी संहिता, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, ऐतिय ब्राह्मण, आपस्तम्भ धर्म सूत्र, वसिष्ठ धर्मसूत्र, विष्णु स्मृति में अत्यंत आपत्ति जनक श्लोक है। इन्हे तुरन्त निकाल देना चाहिए। जब तक इन स्मृतियों में से हरिजनों के लिये प्रयुक्त अपमानजनक शब्द नहीं निकाले जाते तब तक हरिजनों पर अत्याचार निरंतर होता रहेगा। कुछ धर्म ग्रन्थों के उदाहरण मैं यहाँ देना चाहता हूँ, बहुत से विद्वान सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, वह सम्भवतः उन शब्दों को लोग जानते हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी संभवतः न जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कल अपने भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया था। मनुस्मृति अध्याय 8 (267-268) में लिखा हुआ है कि शुद्र ब्राह्मण, छत्री और वैश्य को गाली देतो उसको प्राण दंड देना चाहिए। 31/56 के अनुसार शुद्र शिष्य को पितृ कार्य में न लगायें। अध्याय 4, श्लोक 78-81 के अनुसार शुद्र को शिक्षा देने वाला व्यक्ति असंक्त नामक नर्क में गिरता है। सम्पत्ति के बारे में मनु का निर्देश है कि ब्राह्मण शुद्र की सम्पत्ति नि संकोच ले ले। अध्याय 8/417 के अनुसार शुद्र की सम्पत्ति देख कर ब्राह्मण को जलन होता है। अध्याय 10/129 के अनुसार शुद्र न्याय न करे। यदि करता है तो देश में अकाल पड़ेगा। 8/20 में है कि शुद्र का एक धर्म है मात्र सेवा करना। श्लोक 2/21 के अनुसार ब्राह्मण चार, क्षत्री तीन, वैश्य दो और शुद्र एक औरत रख सकता है। 3/13 के अनुसार शुद्र के राज्य में निवास करने पर नरक मिलता है। इसी प्रकार एक जगह यह कहा गया है कि दस कसाई बराबर 1 तेली, 10 तेली बराबर एक कलवार, 10 कलवार बराबर एक बहुरूपिया या वेश्या का नौकर नीचे है --

डा० राजेन्द्र कुमारी बजपेयी (सीतापुर) :
सभापति महोदय, ये माननीय सदस्य ...

सभापति, श्री चन्द्र जीत यादव : क्या माननीय सोनकर जी, आप बैठ रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जी नहीं।

सभापति : मैं माननीय सदस्या जी, यह वील्ड नहीं कर रहे हैं।

श्री र.जनाथ सोकर शास्त्री : मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी वह व्यवस्था की खराबी के कारण ही यह सब बुराइयाँ हैं। और अगर हमारे धार्मिक ग्रन्थों से इस प्रकार की चीजें नहीं निकलती हैं तो हरिजनों पर रोज अत्याचार होते रहेंगे, उनके घर जलाये जायेंगे, उनकी बहू बेटियों के साथ अत्याचार होते रहेंगे। यदि वह हरिजन है तो उसको सुनकर दर्द तथा शर्म ही आयेंगी इसलिये कि उसको सुरक्षा कहीं नहीं मिल सकती।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। हरिजनों की रक्षा के लिये, उनमें आत्म विश्वास पैदा करने के लिये, हरिजनों के आत्म-सम्मान की रक्षा करने के लिये सब से पहले रोटी बेटे की समस्या को आप हल करें। उच्च सेवाओं में जो लोग

लगे हुए हैं उनके लिए नियम हो कि वही व्यक्ति उच्च सरकारी सेवा में पहुँच सकते हैं जिनके परिवार का कोई सदस्य या स्वयंउमने हरिजन महिला से शादी की हो ।

व्यवसाय के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि गन्दा काम हरिजन भाई प्रायः हाथ से करता है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि इस तरह के काम के लिए बहुत से यंत्र विदेशों से मिलते हैं, उनको यहाँ पर मंगवाया जाये और यहाँ भी गन्दा काम उन यंत्रों के द्वारा कराया जाये । साथ ही यदि इस गन्दे कामों के लिए यंत्रों की सुविधा प्रदान की जाती है तो उम काम को करन वालों के लिए 1,000 रुपए प्रतिमाह वेतन की स्वीकृति दी जानी चाहिए जिससे ऊँचे वर्ग की व्यक्ति भी उस काम को आकर कर सकें और इससे हरिजनों की आत्म-हीनता दूर हो सके ।

मेरा यह भी सुझाव है कि धार्मिक ग्रन्थों में संशोधन किया जाये । इसके अलावा हरिजनों के लिए समाज-कल्याण मंत्रालय बना हुआ है और हरिजनों के लिए वित्त निगम भी बना हुआ है । माननीय मंत्री जी ने उसकी बहुत काफी चर्चा की है और यह भी बताया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जब 1975 के पहले प्रधान मंत्री थीं, तो उन्होंने ऐसे निगमों की स्थापना की थी । मैं यह देख रहा हूँ कि जितने इस प्रकार के निगम बने हुए हैं, उनके अधिकारों सभी ब्राह्मण व उच्च वर्गों के लोग हैं । इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ :-

“जिसके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई ।” वह कभी भी इस प्रकार की बातों को जान नहीं सकते और वहाँ आये दिन अन्याय होते रहते हैं । मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय उस पर ध्यान दे कर, हरिजनों के कल्याण के लिए जो संस्थाएँ बनाई गई हैं, उनमें अधिकारियों के पद पर हरिजन भाइयों को ही नियुक्त करेंगे ।

मैं यह भी सुझाव देता हूँ कि प्रचलन में हरिजन शब्द को न लाया जाए । हमारे संविधान में कहीं भी हरिजन शब्द नहीं लिखा है । हर जगह अनुसूचित जाति शब्द लिखा गया है । हम लोग अपने आये दिन के व्यवहार में हरिजन-हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं यह नहीं समझ पाता कि यदि कुछ लोग हरि के जन यानी भागवान की ओलाद हैं तो बाकी लोग क्या शैतान की ओलाद हैं ?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि वह तत्काल कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे हरिजन शब्द पर पाबन्दी लगा दी जाये और हरिजन न कहकर अनुसूचित जाति अथवा शूद्रकाल कास्ट शब्द कहा जाये ।

मेरा यह भी सुझाव है कि उन्नति का सब को समान अवसर दिया जाये । पदोन्नति में हरिजनों को आगे लाने के लिए विशेष कोटे निर्धारित किये जायें जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली बार किया था । सेवा-नियमों आदि में परिवर्तन किया जाये ।

इस मूलक में साढ़े 3 करोड़ खटीक जाति के लोग रहते हैं और यह देश में चारों ओर पाये जाते हैं । मैंने अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित फिगरों से देखा है कि महाराष्ट्र, बिहार आसाम व कुछ हरियाणा में भागों में खटीक जाति के लोग शूद्रकाल कास्टस में नहीं हैं । मैं यह माँग करता हूँ कि जहाँ यह डेढ़ करोड़ के लगभग खटीक जाति के लोग शूद्रकाल कास्टस में नहीं हैं, कम-से-कम उन लोगों को शूद्रकाल कास्टस में शामिल किया जाये ।

आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ ।

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : माननीय सभापति जी, आयुक्त द्वारा जो 25वीं रिपोर्ट पटल पर रखी गई है उसके सम्बन्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

आज हमारे भारत की 50 फीसदी जनता गरीब है और गरीबी की सीमा के नीचे अपना जीवन बसर कर रही है । वे गरीब लोग आदिवासी और हरिजन हैं । मेरे पूर्व वक्ताओं ने और कुछ विरोधी भाइयों ने कहा और बारबार वह इस मदन में लाये हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी पिपरा कांड को देखने नहीं गईं । मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि 1977 में मध्य प्रदेश में बस्तर में आदिवासियों को 13 लोगों को गोली से मार दिया गया था तो क्या उस समय श्री मोरारजी भाई वहाँ उन्हें देखने के लिए गए थे । दोवाली के दिन रतलम के पास कनडिया में हरिजनों पर अत्याचार किया गया । क्या श्री मोरारजी देसाई वहाँ गये थे ? इन बातों से यह मसला हल नहीं होगा । हरिजनों और आदिवासियों पर जो दिन प्रति-दिन अत्याचार हो रहे हैं, हम सब को राग-द्वेष से ऊपर उठ कर उनके बारे में विचार करना होगा ।

मैंने इस रिपोर्ट में देखा है कि केन्द्रीय शासन में हरिजनों का कोटा 15 प्रतिशत और आदिवासियों का 7.5 प्रतिशत रखा गया है । लेकिन क्या वास्तव में हरिजनों और आदिवासियों को उतने स्थानों पर रखा गया है ? किसी भी मंत्रालय में सब से ज्यादा नियुक्तियाँ 12.67 परसेंट हैं । यह भी बहुत कम है । 13 मंत्रालयों और दफ्तरों में 8 युकृतियों का कोटा आधे से भी कम है । 8 मंत्रालयों और दफ्तरों में हरिजनों और आदिवासियों का कोटा केवल 1 प्रतिशत है । उनके नाम इस प्रकार हैं : कॅबिनेट सचिवालय, संसदीय कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग, उपराष्ट्रपति कार्यालय, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, अंतरिक्ष और अणु ऊर्जा, पेट्रोलियम विभाग । इस तरह हरिजनों और आदिवासियों का भला नहीं होने वाला है । 34 मंत्रालयों और दफ्तरों में वास्तविक नियुक्ति का प्रतिशत 3 से 7.5 प्रतिशत के बीच है ।

इस रिपोर्ट में हरिजनों और आदिवासियों की नियुक्तियों का जो प्रतिशत दिया गया है, वह पर्याप्त नहीं है । यह भी देखा चाहिए कि उनका जो क्वोटा दिखाया गया है, क्या उतने हरिजन तथा आदिवासी उन जगहों पर हैं ।

[श्री बलबीर सिंह]

इस रिपोर्ट में रोजगार कार्यालय की 1977 की रिपोर्ट पेज की गई है, जिसमें बताया गया है कि हरिजनों को 55 प्रतिशत और आदिवासियों को 35 प्रतिशत नौकरियां दी गई हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि रोजगार कार्यालय द्वारा ये जो प्राकड़े दिये गये हैं, क्या वे सही हैं।

हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासियों और हरिजनों की आबादी 40 प्रतिशत है। पहले वहाँ पर 33 सब-प्लान बनाये गये थे और अब 50 सब-प्लान चल रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि सामान्य बजट में हरिजनों और आदिवासियों के लिए पहले 22 प्रतिशत और अब 33 प्रतिशत रखा जाता है, लेकिन इस वर्ष, 1980 में, उसमें से 25 करोड़ रुपये लैप्स होले जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल कामजो पर धनराशि दिखा देने से ही हरिजनों और आदिवासियों का कल्याण नहीं होगा। यह आवश्यक है कि किसी फिनांशल इम्पर में उन लोगों के लिए जो धनराशि निर्धारित की जाये, वह लैप्स न होने पाये और उसको उसी मद में खर्च किया जाये। यह नहीं होना चाहिए कि हरिजनो और आदिवासियों के सब-प्लान के लिए रखा गया पैसा दूसरी मदों में डाल दिया जाए।

मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक हरिजनो और आदिवासियों को छोटे उद्योग-धंधे शुरू करने के लिए कितने लाइसेंस दिये गये हैं। जब तक उन लोगों की आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारा जायेगा, तब तक उनकी उन्नति नहीं हो सकती है। आज वर्गभेद की बातें क्यों होती हैं, ऊंचे लोग क्यों और ऊंचे जा रहे हैं और निचले तबके क्यों और नीचे जा रहे हैं? इस क्षेत्र में से मैं आता हूँ, वहाँ 56 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। वहाँ मवेशी तक मार कर लोग खा गए हैं और शासन वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज जो आदिवासी ग्रामीण प्रंचलों में रहते हैं, अगर उन को सलोगन लगाना नहीं आता, नारेबन्धी करना नहीं आता तो इस का मतलब यह नहीं है कि उन की तरफ ध्यान न दिया जाय। वहाँ पर हमारा और आप का कर्तव्य हो जाता है कि जिस व्यक्ति के पास गल्ला नहीं है, खाने को नहीं है उस को मदद पहुंचाए। आज जो बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कल कारखाने हैं, आदिवासी और हरिजन इसीलिए वहाँ दौड़े जाते हैं कि शायद हमें एक समय का भोजन मिल जाय। तो यह आप को और हम को खास कर के देखना चाहिए।

आप देखें अस्पृश्यता निवारण के लिए एक आयोग 1969 में बना। उस ने सारे हिन्दुस्तान का दौरा किया रिपोर्ट दी कि कानून से संविधान से हम उस का अंत करेंगे और हमारे यहाँ छुआछूत नाम की कोई चीज नहीं होगी। लेकिन आज भी वही स्थिति बनी हुई है। यह क्यों बनी हुई है

इस के उपर हम को और आप को सब को गहराई से विचार करना होगा। हिन्दुस्तान में करोड़ों हरिजन और आदिवासी हैं जो सीमांत किसान हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को सराहना करता हूँ जिन्होंने 20 सूची कार्यक्रम को फिर से लाया किया। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में एम पी लैंड रेज्यू ऐक्ट को संशोधित कर कुछ नियम ऐसे बनाए गए थे जिन के अनुसार 1959 में जितने भी बड़े लोगों ने छोटे व गरीब हरिजनों की जमीन ले ली थी या जिन की जमीन से लेडीड मांटोय थी, उन को निरस्त कर के फिर वह जमीन उन को वापस की जाय। मैं यह निवेदन करना कि और भी दूसरे प्रांतों में ऐसा कानून न हो तो वहाँ भी वह बनाया जाय। लेकिन इस कानून में एक चीज यह होनी चाहिए कि इस के प्रचार और प्रकार के लिए कुछ और राशि हो ताकि हम ग्रामीण प्रंचलों में इस का प्रचार और प्रसार करें तभी हरिजनों और गिरिजनों को इस का फायदा होगा। इससे उन को पता चल सकेगा कि सरकार ने हमारे लिए क्या कानून बनाया है और हम किस तरह आगे चल कर अपने राइट्स को ले सकते हैं। इस का मैं स्वागत करता हूँ।

एक बात सिचाई के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। सिचाई का प्रबन्ध हिन्दुस्तान में अभी केवल 25 प्रतिशत हुआ है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जिन ग्रामीण प्रंचलों में आदिवासी रहते हैं वहाँ जो पेरिनियल नदियाँ और नाले हैं जो चाइना इरिगेशन के तहत आते हैं उन के द्वारा सिचाई का प्रतिशत उठा कर देखें तो एक प्रतिशत केवल आता है। इसी तरह मैंने पहले भी इस सदन में समझ यह बात रखी थी कि जिस तरह से हरल एलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम है उसी तरह से एक फरल रोडवेज कारपोरेशन बनाना चाहिए ताकि मोन्स आफ कम्प्यूनिकेशन् अछ्छे हों तभी आदिवासी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और उम से उन के आचार विचार और संस्कृति में बदलाव आ सकती है।

हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्स बहुत हैं। खास कर मध्य प्रदेश में इतना जंगल भरा पड़ा है, कोयला है, पानी है बिजली है सब कुछ है, लेकिन वहाँ जो 40 प्रतिशत आदिवासी बसते हैं उनका जीवन-स्तर बहुत गिरा हुआ है और वे और भी नीचे दबते चले जा रहे हैं। उनके लिए मैं आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे बीकर सेक्शंस को बैकवर्ड क्लासेज को और आदिवासियों को छोटे छोटे उद्योगों के लाइसेंस दिए जाएँ जिस से उन की आर्थिक दसा सुधरे और हमारा समाज एक अछ्छा समाज बने। जिला स्तर और प्रान्तीय स्तर ही नहीं तमाम हिन्दुस्तान में एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो। ऐन्डमिस्ट्रीटिव प्वाइंट आफ व्यू से भी हमें कानून और

व्यवस्था को देखना होगा। इस आयोग के माध्यम से बहुत झगड़ी बातें कही गई हैं लेकिन उन का इम्प्लोमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं यह हमको धीरे धीरे देखना होगा। केवल आंकड़े बता देने से काम नहीं चलने वाला है कि आदिवासियों और हरिजनों को इतनी धनराशि हबने दी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अग्नि भी समय दिया उस के लिए मैं आप का आभारी हूँ।

श्री महावीर प्रसाद (बांरागांव) : मैं आप का बहुत आभारी हूँ कि आप ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आयोग की 25वीं रिपोर्ट पर बोलने के लिए मुझे समय दिया। मैंने इस रिपोर्ट को आदि से अंत तक पढ़ा और मैंने देखा कि स्थिति का जो आकलन उसमें हुआ है वह बहुत ही सुन्दर चित्रण किया गया है। इस माननीय सदन में भी माननीय सदस्यों के द्वारा जो सुझाव आए हैं उन को भी मैंने सुना। इस रिपोर्ट के आधार पर मैंने यह देखा कि आज भारत की जनसंख्या का पचास प्रतिशत गरीबी की सीमा रेखा से नीचे है। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ उस में सब से पिछड़ी हुई हैं। इनकी दशा बड़ी दयनीय है। हिन्दुस्तान में इन जातियों के 16 करोड़ लोग हैं आज के इस वैज्ञानिक युग में भी इनकी दशा दयनीय अवस्था में है।

इस रिपोर्ट में अनुसूचित एवं जनजाति के लोगों की उन्नति के लिए चार मुद्दे रखे गए हैं— आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक। यह चार सोपान हैं इन पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं, इनको आपक मानते हैं तो मैं आशा करता हूँ इन जातियों का उत्थान भविष्य में हो सकता है लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि 33 वर्षों में इनके विकास को जो गति रही है वह बहुत धीमी है। भविष्य के आंकड़ों के आधार पर 1982-83 में 20 प्रतिशत लोग गरीबी की सीमा रेखा से आगे बढ़ सकते हैं और 1987-88 में यदि यही गति रही तो 12 प्रतिशत और लोग गरीबी की सीमा रेखा से आगे बढ़ सकते हैं। यदि इस गति के आधार पर 30 प्रतिशत लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से आगे लाना चाहते हैं तो एक दशक का समय धीरे लगेगा। इतना समय तो तब लगेगा जब योजना के आधार पर जो समुचित व्यवस्था की गई है उसको लागू करते हुए सुधार करेंगे और तभी वह आगे बढ़ सकते हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की जो आर्थिक अवस्था है वह बड़ी दयनीय है। मैं भारत के अन्य क्षेत्रों के बारे में तो अधिक नहीं बता सकता लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आज तक हरिजन बस्तियों में पीने के पानी के लिए कुओं की व्यवस्था नहीं है। पोखरों और तालाबों से ही उनको पानी लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से व्यवस्था की गई थी कि हरिजन बस्तियों में पीने के पानी के लिए कुओं का निर्माण किया जाये। लेकिन बीच में जब जनता या लोकदल की सरकार आई तो उस योजना को समाप्त कर दिया गया। मेरा अनुरोध है कि उस योजना को पुनः चालू किया जाए ताकि हरिजनों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो सके।

एक और बड़े शर्म की बात है— मैं भारतवर्ष के अन्य भागों की बात नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बारे में कहना चाहता हूँ कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी वहाँ के हरिजन गोबर से अनाज निकालते हैं, जिसको आप गोबरहा कहते हैं और उसको खाते हैं। मैं सरकार तथा इस सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना होगा तभी हम इनकी आर्थिक अवस्था में सुधार कर सकते हैं। हमें इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करनी होगी ताकि गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जो लोग दबे हुए हैं, शोषित हैं उनको ऊपर उठाया जा सके। इस प्रकार से जब हम देहातो में जाते हैं तो देखते हैं कि रिपोर्ट के आधार पर 37 लाख लोगों को आवासीय भू-खण्ड दिए गए हैं। तब हमने यह निवेदन किया कि ये आवासीय भू-खण्ड हमें मकान बनाने के लिए निःशुल्क दिए जायें। मेरा आपसे निवेदन है कि एक योजना आवासीय निर्माण के लिए चलाईए और उस योजना में जो भी अनुदान दिया जाए, वह अनुदान 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 25 प्रतिशत ऋण के रूप में उनको मकान निर्माण के लिए उस योजना में व्यवस्था की जाए।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब उस समय चक्रवर्ती की व्यवस्था चल रही थी, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये गरीबों के बारे में धीरे धीरे करें, जब मैं उत्तर प्रदेश में विधायक था, उस समय 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने तीन-तीन डिसमिल जमीनें दी थीं, उन पर मकान बनाने के लिए और भूमिहीनों के लिए जमीन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। उन हरिजनों से आवासीय जमीनें छीन लीं गई हैं। तकलीफ की बात

[श्री महावीर प्रसाद]

यह है और सभी लोग महसूस करेंगे कि जहाँ पर हरिजन आबादियाँ हैं, माननीय मंत्री जी कृपया ध्यान दें, वे हरिजन जो दूसरों की जमीनों पर बसे हुए हैं, वे कहते हैं कि यह हमारी जमीन है, उस जमीन को सी० एच० चकबन्दी में लिखा लिया है और जब चाहते हैं, कह देते हैं कि यह जमीन तुम्हारी नहीं है, इसको खाली करो, ये जमीन हमारे नाम से हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी व्यवस्था करे ताकि जिन जमीनों पर सी० एच० लिखा हुआ है, लेकिन उन जमीनों का मालिक कोई दूसरा ही व्यक्ति है, लैण्ड-ला में ऐसी व्यवस्था करके आप उसको खत्म कराएँ, यदि आप उनको सही रूप में उन्नति करते हुए देखना चाहते हैं।

इसके बाद मैं पारम्परिक सामाजिक व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूँ। क्या यह हमारे समाज में हमारे लिए और इस सदन के लिए कलंक की बात नहीं है, कि हमारी आजादी को आज 33 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हरिजन अपने गिर पर मेल ढाँटा है। मान्यवर, सन 1961 की जनगणना के आधार पर और इस रिपोर्ट के आधार पर करीब 10,40,193 ऐसे लोग थे जो पाखाना ढोने वाले थे और जिसमें से 82,336 ऐसे व्यक्ति थे जो सिर पर मैला ढोने और झाड़ू लगाने का काम करते थे। इस संबंध में मैं अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूँ, वह सुझाव यह है कि नगरपालिकाओं द्वारा यह सिर पर मैला ढोने की परम्परा को समाप्त कराया जाय। मैं चाहता हूँ कि वे अस्वच्छ और सूखे शौचालय जलयुक्त-शौचालय बनाये जायें। ताकि जो गन्दगी है, वह समाप्त हो जायें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को आप के माध्यम से यह सुझाव दिया जायें कि वे विशेष निगमों की स्थापना कर के शहरों में जो नगरपालिकाएँ हैं, टाऊन एरिया कमिटीज हैं उन को मज़ायना दे ताकि वे संस्थाएँ इस परम्परा को समाप्त कर सकें।

भारक्षण के सम्बन्ध में माननीय आयुक्त श्री गिरिशर कुमार जी ने अपनी रिपोर्ट में बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। उन के वक्तव्य के आधार पर इस माननीय सदन के बहुत से सदस्यों ने भी भारक्षण के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही हैं। भारक्षण अवश्य है, हमारे संविधान में भी अंकित है, लेकिन प्रश्न यह है कि भारक्षण के आधार पर कितने प्रतिशत कोटा पूरा हुआ है। 1975-76 में जब मैं उत्तर प्रदेश की असेम्बली का मेम्बर था--मैं उस समय का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं गोरखपुर जिले के बांसगांव निर्वाचन क्षेत्र से आता हूँ, मैंने उस समय गोरखपुर जिले के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था।

मैंने पूछा था कि गोरखपुर जिले में कितने विभाग हैं और उन में कितने लोग नियुक्त हैं तथा उन नियुक्तियों में हरिजनों का कोटा कितना है। उस प्रश्न का उत्तर साल भर के बाद आया और मुझे बताया गया कि वहाँ 71 विभाग काम करते हैं जिन में से केवल 17 विभागों की रिपोर्ट आई है। केवल एक विभाग--हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग में 16 प्रतिशत कोटा पूरा हुआ था, लेकिन अन्य विभागों में किसी में आई प्रतिशत, किसी में 2 प्रतिशत, एक में .8 प्रतिशत और एक में .9 प्रतिशत कोटा पूरा हुआ था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान के आधार पर भारक्षण की जो सुविधा आपने दी है वह अभी तक पूरी नहीं हो पायी है। इस लिये मेरा निवेदन है कि आप एक ऐसा "सेल" बनायें और उस के द्वारा भारक्षण की जो व्यवस्था की गई है, प्रत्येक विभाग से उस की रिपोर्ट मंगायें। आप यह देखें कि वही रिपोर्ट आप के पास अविलम्ब आती है या नहीं, यदि सह रिपोर्ट अविलम्ब न आये, तो उन को नौकरी से बरखास्त कर दें।

भारक्षण के प्रति इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि--"संविधान में नौकरियों के भारक्षण के प्रेरणा-स्रोत के अनुसार क्या यह अपेक्षित नहीं है कि लोक सभा में भारक्षण सम्बन्धी एक विधेयक पारित कर दिया जाये और राज्यों को अपने यहां कानून बनाने में उसे माडल के रूप में स्वीकार करने के लिये कह जायें ताकि भारक्षण नीति ममरूप हो सके।"

मेरा सुझाव है कि इस पर भी तुरन्त कार्यवाही की जायें।

भारक्षण के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ--आप ने सार्वजनिक सैक्टर में भारक्षण कर दिया है, लेकिन प्राइवेट सैक्टर में अभी भी हरिजनों को नौकरी में नहीं रखा जाता है। मेरा निवेदन है कि प्राइवेट सैक्टर में चाह कोई कारखाना हो, उद्योग-धन्धा हो, स्कूल कालिज हो, सब के लिये आप निश्चित करें, केन्द्रीय सरकार के माध्यम से उन को आदेश दें कि वे भी अपने यहां सुनियोजित ढंग से भारक्षण का पालन करें।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूँ--यदि हम वास्तव में हरिजनों और गिरिजनों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, तो इस हाउस को, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को आत्म-निरीक्षण करना पड़ेगा और उस आत्म निरीक्षण के बाद ही उन के विकास का काम हो पायेगा, वरना इस काम में विकास होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि प्रगति की गति बहुत धीमी है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि

जीवन्ती इन्दिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में हम एक ज्वलंत उदाहरण दे कर इन हरिजन जातियों को भारी बढ़ाने का काम करें।

श्री श्रीवाणी (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय आप ने जो समय दिया है उसके लिए आप को धन्यवाद देता हूँ।

आज जो हरिजनों गिरिजनों और आदिवासियों के सम्बन्ध में कमिश्नर शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शोड्यूल्ड ट्राइब्स ने जो रिपोर्ट पेश की है वह 25वीं रिपोर्ट है और उस में 155 सिफारिशें हैं। मैं बणान्तक ढंग से इन सिफारिशों के बारे में या जो दूसरी रिपोर्टों में सिफारिशें थीं उन के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। गृह मंत्रालय से केवल यही बात कहना चाहता हूँ आप के माध्यम से कि आज तक जितनी भी रिपोर्टें पेश हुई हैं उन रिपोर्टों की जितनी सिफारिशें हैं उन सिफारिशों में से कितनी सिफारिशों पर कार्यान्वयन हुआ है। मैं यह जानता हूँ कि ये सिफारिशें राज्य सरकारों से भी सम्बन्धित हैं केन्द्रीय सरकार से भी सम्बन्धित हैं, प्रांटोनामस बौडोज और कुछ जो दूसरे प्राणो-नाइजेरान्स हैं, उन से भी सम्बन्धित हैं लेकिन क्या मैं गृह मंत्रालय से यह जान सकूंगा कि इस सम्बन्ध में आज तक कितनी सिफारिशों की गईं और उन का क्या निचोड़ था और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस में 10 प्रतिशत सिफारिशें भी कार्यान्वित होतीं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यह 25वीं रिपोर्ट पेश होना भी जरूरी न होता। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि 1950 में संविधान लागू किया गया और आज संविधान को लागू हुए 33 वर्ष हो गये हैं लेकिन यह 25वीं रिपोर्ट है, ऐसा क्यों है ?

यहां पर इस सदन में हरिजनों और आदिवासियों पर जो अत्याचार होते हैं उन के बारे में काफी चर्चा होती है फिर भी हर साल कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जो हमारे देश के लिए शर्मनाक हैं और देश के माथे पर कलंक का टीका है। क्या उन्हें रोकने का तरीका, कारगर तरीका गृह मंत्रालय या राज्य की प्रादेशिक सरकारें निकाल सकती हैं और इस बारे में कुछ कर सकती हैं। यह भी मैं जानना चाहूंगा लेकिन इस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने हरिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं, जल्म हुए हैं, उन के बारे में काफी कहा है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरिजनों आदिवासियों और इतरजनों में भी, कहीं कहीं अन्तर है। कई मामलों में उन की एक सी समस्या है। उन में अज्ञानता है, अज्ञान है, अनभिज्ञता है और गरीबी है परन्तु इस के अलावा कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जो विशेष रूप से आदिवासियों की समस्याएं हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि

जो सिद्धांत संविधान में है और जो हथपा, व्यवहार है, उस में बहुत अन्तर है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि कास्टीट्यूशन की धारा 15, 16, 17, 19, 23, 25, 29, 35, 38, 39(ए), 46, 164, 244, 244 (ए); 275, 320(4), 330 आदि ये सारी धाराएं हैं और उनमें हरिजनों के बारे में स्पेशल प्रोविजन है। इस और मैं आप के माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस समय खास कर दोनों गृह मंत्री विराजमान हैं और मैं उन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बहस के लिए 9 घंटे का समय निकाला लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बासी रिपोर्ट क्यों पेश की गई। 1977-78 की रिपोर्टें अब पेश हुई हैं और 1978-79 की रिपोर्टें तो और भी बासी हो जाएंगी। पता नहीं वह कब पेश होगी। क्यों नहीं जल्दी सकलित किया जाता है और यहां पर जल्दी पेश की जाए और फिर उस पर कार्यवाही हो। इस में राज्य सरकारों के प्रमल की बात भी आती है। 1977-78 की रिपोर्टें सन् 1980 में पेश हो, यह बड़े शर्म की बात है। यह रिपोर्टें विधान सभा में एक साल के बाद जाएंगी और फिर उस पर वहां चर्चा होगी। इस का मतलब यह है कि उदासीनता है, सर्वत्र उदासीनता है। अगर उदासीनता न होती, तो आज ऐसी स्थिति पैदा न होती।

एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं गलती कर सकता हूँ, आप गलती कर सकते हैं, राजनीतिज्ञ गलती कर सकते हैं और समाज के दूसरे लोग गलती कर सकते हैं लेकिन राज्यपाल भी गलती करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल जैसा उंचा शासक भी गलती करे तो कैसे काम चलेगा। इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि राज्यपाल को यह अधिकार है और इस संविधान में भी प्रावधान है जो कि संविधान के शैड्यूल्ड पांच में है कि राज्यपाल को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में हर साल सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी होगी। यह उनकी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी न केवल राज्यपालों की है बल्कि केन्द्रीय सरकार की भी है कि वे उनसे इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगें। इस 1977-78 की रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल आंध्र, मध्य प्रदेश और बिहार इन राज्यों ने अपनी रिपोर्ट भेजी है और वे भी 6-6 महीने बाद भेजी है। क्या मैं गृह मंत्री से पूछ सकता हूँ कि जिन राज्यों ने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी क्या उनसे केन्द्रीय सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। क्या संविधान के अनुसार यह गृह मंत्रालय का काम नहीं था कि वह जिन राज्यपालों ने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है, उनसे रिपोर्ट मांगता। इसी तरह से संविधान के इस शैड्यूल्ड पांच में यह भी लिखा है कि राज्यपाल शैड्यूल्ड एरियाज के लिए सलाहकार समितियां बनायेगा। आदिवासी क्षेत्रों के लिए जहां सलाहकार समितियां नहीं

[श्री भीष्मा भाई]

बनी है वहाँ के लिए गृह मंत्रालय ने जोई कदम उठाया है या नहीं, यह भी मैं जानना चाहता हूँ।

मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आदिवासियों के लिए एक नयी दिशा दी। यह दिशा उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए एक उप-योजना के रूप में दी है। हरिजन और आदिवासियों की समस्याएँ एक समान होती हुए भी कई दृष्टियों से भिन्न हैं। क्योंकि वे एक आइसोलेटेड एरियाज में रहते हैं। वे इतने गरीब हैं कि इन्सान की बखल देख कर वे भाग जाते हैं। आप तो सभापति महोदय बिहार के सन्याल परगना के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से राजस्थान में धम्बावी उल्हा क्षेत्र है। ऐसे कई आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ आदिवासी इन्सान की बखल देख कर भाग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन जातियों का कैसे सुधार होगा। ये सब-सुधुमन और सब-स्टेण्डर्ड लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से इनके बारे में कार्य पड़ति चलती रही तो कब और कैसे इन जातियों का उत्थान होगा ?

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन आदिवासियों के लिए कई योजनाएँ चालू की गयी लेकिन वे अभी वही के वही है। पता नहीं उन योजनाओं का रूपया कहा गया कहा खर्च हुआ ? यह तो भगवान ही जाने। आज भी उनकी स्थिति मधुरी नहीं है। राजस्थान में पिछली सरकार ने तो धारक्षण को बिल्कुल खत्म सा कर दिया था। एम्प्लॉयमेंट एक्मबेंज में रोस्टर प्रणाली को राजस्थान सरकार ने खत्म कर दिया। राजस्थान सरकार ने हरिजन और आदिवासियों के बारे में बहुत उपेक्षा की नीति बरती थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन राज्यपालों ने रिपोर्ट नहीं भेजी या जिन राज्यपालों ने सलाहकार समितियाँ नहीं बनायी क्या उनसे यह करने के लिए गृह मंत्रालय ने कहा ?

राज्यपाल को, शोड्युल्ड पाच में अनुसूचित जनजातियों के बारे में एक रेगुलेशन बनाने का भी अधिकार दिया गया है जिसको कि किसी राज्यपाल ने नहीं बनाया। बिहार में कुछ रेगुलेशन हुआ है। इस शोड्युल्ड में यह दिया हुआ है कि जो केन्द्र का कानून किसी अनुसूचित जनजाति के लिए हानिकारक हो तो वह कानून को रोकने का भी राज्यपाल को अधिकार है। मैं क्या गृह-मंत्रालय से पूछ सकता हूँ कि किसी राज्यपाल ने ऐसा किया है ? इस शोड्युल्ड में यह भी दिया हुआ है कि वह शोड्युल्ड एरियाज के बारे में राज्यपालों को डायरेक्टिव दे। क्या गृह मंत्रालय ने किसी राज्यपाल को ऐसा जोई डायरेक्टिव दिया है ? चाहे इस पार्टी के गृह मंत्री हो चाहे उस पार्टी के गृह मंत्री हो, मैं पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठ कर भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले में सदा उदासीनता बरती गयी है और आज भी हम उदासीनता

देख रहे हैं। जितनी इम्पार्टेंस इसको देनी चाहिए थी उतनी न यह सरकार दे रही है और न पहले की सरकार ने दी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ऐसी रिपोर्टों से सिफारिशों की जाती हैं अगर इनको भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो भी उनकी आर्थिक समस्या और अन्य समस्याएँ काफी हद तक सुलझ सकती हैं। मैं सरकार से अब निवेदन करता हूँ कि इस रिपोर्ट की सिफारिशों को वह इम्प्लीमेंट करे जिससे उनकी आर्थिक समस्या और दूसरी समस्या सुलझे।

17.30 hrs.

[SHRI SHIVRAJ V. PATIL in the Chair]

श्री शिव मोरेन (दुमका) : सभापति महोदय, 25वीं आदिवासी और हरिजनों से सम्बन्धित रिपोर्ट पर आपने मुझे जो बोधने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में बहुत से साथियों ने अपनी बातें कही, मैं बोड़े शब्दों में ही कुछ कहना चाहता हूँ। आदिवासी हरिजनों की जहाँ तक समस्याएँ हैं वह आजादी के 30 साल बाद भी बैसी ही हैं, जैसे पहले थी। हम लोगों ने बिहार, दक्षिण बिहार, छोटा नागपुर, सन्याल परगना में महाजनी शोषण के खिलाफ आन्दोलन किया था इस प्रकार की रिपोर्ट हमेशा आती रही है आदिवासी और हरिजनों के कल्याण के नाम पर, उनकी जमीन की सुरक्षा के नाम पर। अगर किसी भी जिले में उनको कोई लाभ नहीं हुआ। हमने अपने अधिकार के लिए लड़ाई की, हमें हमेशा विद्रोही और नवमलपथी कहा गया, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए हमने सरकार को झुकाया और अपनी जमीनें वापस ली। हमारी जो अपनी कमजोरी हैं, जो बीमारी है उसको दूर करना पड़ेगा। मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी के घर में पैदा हुआ हूँ, हमने देखा है कि हमारी कमजोरी पर सरकार विचार करने के लिए सभम नहीं है। हमारा समाज जरजर है, महाजन लोग और जमींदार शराब पिलाकर हमारी जमीनें ले लेते हैं। इतना ही नहीं उनकी इज्जत भी लूटी गई। जमीन की जहाँ दिन प्रति दिन बढ रही है। सरकार ने कानून बनाया है जमीन वापसी का। लेकिन जमीन को छीना जा रहा है। इसलिए इनके लिए टोस कदम होने चाहिए। हरिजन और आदिवासियों के बीच ऐसे अफसरों को काम करने के लिए भेजना चाहिए जिनकी उनके बीच में काम करने की रुचि हो। हरिजनों की भलाई के लिए जमीन की समस्या सुलझानी चाहिए।

इसके अलावा जहाँ जहाँ हरिजन और आदिवासी भोग रहते हैं, देश के किसी भी कोने में हों, वहाँ से शराब की दुकानें उठानी चाहिए। हम जंगल पर निर्भर करते हैं, वहाँ पैदा हुए जहाँ जंगल हैं, वहाँ रहने वाले हरिजन, आदिवासी

घोर गरीब लोग उसी के सहारे जीते हैं। उन जंगलों को सरकारी नियम से बर्बाद किया गया है। हमारी मांग है कि उन जंगलों को बर्बाद नहीं करना चाहिये, बल्कि उनको बचाना चाहिये। छोटा नागपुर, सन्थाल परगना में 8, 10 साल पहले जमीन के सिलसिले में आन्दोलन किया था जिसको ले कर झूठे मुकदमे चलाये गये। मैं चाहूंगा कि उन सारे झूठे मुकदमों को वापस लिया जाये।

हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। हमारी संस्कृति बर्बाद हो जायेगी तो हम भी बर्बाद हो जायेंगे। हमने आन्दोलन किया है और मांग की है कि बिहार, छोटा नागपुर, सन्थाल परगना के तमाम आदिवासी लोग बिहार से अलग हो कर अपना झारखंड राज्य कायम करना चाहते हैं।

श्री रणधीर सिंह (चतरा)। सभापति महोदय, आज जो 25वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है उसकी मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। उसमें बहुत सी समस्याओं का समाधान कमीशन ने रखा है। लेकिन मेरा कहना है कि देश की स्वतंत्रता के 32 साल बाद भी आज तक प्राथिक, सामाजिक और राजनीतिक आजादी हरिजनों और आदिवासियों को नहीं मिली है।

यह देखने को मिल रहा है कि जंगलों और गांवों में रहने वाले आदिवासियों और हरिजनों पर तरह-तरह के अत्याचार हो रहे हैं। उनको दी गई जमीनों का सभी छीन रहे हैं, उन पर अपना कब्जा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी ध्यान उस पर नहीं है। मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूँ।

बिहार में अनेक कांड और अनेक घटनाएं हुई हैं। जिन हरिजन और आदिवासियों को 20-सूत्री इकनामिक प्रोग्राम के अन्तर्गत जमीन दी गई है भी, उन जमीनों को हमारे यहां बिहार में धनी वर्ग के लोगों ने छीन लिया है। यहां पर बीसियों बार इस सदन में रिपोर्ट रखी गई है, लेकिन रिपोर्ट बनाने से और इस सदन में रखने से इन लोगों की समस्या हल नहीं हो सकती है जब तक कि उसको व्यावहारिक रूप न दिया जाये।

हिन्दुस्तान में प्राथिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि 50 फीसदी लोग प्राथिक अवस्था में जीते हैं, जिन्हें कि खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है उनके लिये रोजी और रोजगार नहीं है। उसमें कम-से-कम 2 करोड़ 90 लाख काम करने वालों की संख्या है जिसमें गरीब आदिवासी और हरिजनों की संख्या 50 लाख है जो गरीब हैं, भूखे मर रहे हैं, उनको मजदूरी नहीं दी जा रही है। इस तरह से

हरिजनों और आदिवासियों की समस्याओं के लिये तरह-तरह के समाधान इस कमेटी ने दिये हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में बन्दूबा मजदूरी को समाप्त करने के लिये कांग्रेसी सरकार ने 1976 में कार्य किया था, लेकिन हमारी सरकार बदलने के बाद हमारी जनता पार्टी के लोग, लोकदल के लोग, जिन भाइयों ने अभी भाषण दिया है, जिसमें माननीय श्री चरण सिंह का पूरा चरित्र-चित्रण किया है, उन्होंने कहा है कि मनु-स्मृति को गांव किया जाये। मान्य पढ़ा है कि हमारे भाई धनी पीछे की ओर जा रहे हैं। जब कि सारी दुनिया बवल बर्द, हिन्दुस्तान भी बवल रहा है, वहां के बहुत लोग पढ़-लिख गये हैं, ऐसी अवस्था में मनुस्मृति की गांव बिलाना, धर्म की गांव बिलाना उनका एक ही सिद्धांत है कि दंगा करायेंगे, भेदभाव करेंगे जिससे समाज में भेदभाव हो जाये।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे हरिजनों और आदिवासियों की बेरोजगारी की समस्या इसलिये बढ़ गई है क्योंकि कृषक पर हम लोग बेरोजगारी की समस्या के हल करने के लिये धारणन लगाये हुए हैं, लेकिन उसे हम व्यावहारिक रूप नहीं दे रहे हैं और उस तरफ देख नहीं रहे हैं। इस तरह से कहा जाता है कि क्योंकि हरिजन आदिवासी पढ़-लिखे नहीं हैं, इसलिये उन लोगों को कोई भी अच्छे-अच्छे औद्योगिक पर बैठाना नहीं जा सकता है। इस तरह से किसी भी परिस्थिति में उनके धारणन को पूरा नहीं किया जा रहा है।

मेरा यह सुझाव है कि आदिवासियों के इलाके में तरह-तरह के स्कूल खोले जायें, उन लोगों की संस्कृति को बैबलप करने के लिये स्कूली शिक्षा घर-घर में देनी चाहिये। हमारे क्षेत्र चतरा में लोगों को जाने का कहीं रास्ता नहीं है। हमारे बिहार में पालामऊ आदि कई हरिजनों के और आदिवासियों के क्षेत्र हैं लेकिन वहां पर कोई रास्ता नहीं है। उनके पढ़ने के लिये और शिक्षा के लिये कोई स्कूल नहीं है। उनके रोजगार के लिये कोई फैक्ट्री नहीं खोली जा रही है। ऐसी जगह पर वहां बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, उनके निवास स्थान में वहां सब काम हो रहे हैं, इस तरह से हमारे क्षेत्र में कोई भी हरिजन और आदिवासी जाये नहीं बढ़ सकता है। हमारे हरिजन भाइयों पर अत्याचार इसलिये बढ़ रहे हैं कि उनकी प्राथिक स्थिति पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, अंधार में सहयोग नहीं दे रही है, नीकली में प्रोत्साहन नहीं दे रही है। इसी वजह से हमारे हरिजनों की जो भूमि है वह भी हड़बडी जाती है। इसी कारण किसी भी हरिजन और आदिवासी की प्रोग्रेस नहीं हो रही है।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस प्राथिक और कानूनी व्यवस्था को ठीकना चाहिये। हरिजनों को बीकरीयों में

[श्री रणजीत सिंह]

बेरोजगारी हटाने के लिये उद्योग में तथा तरह-तरह की नियुक्तियां देने में विशेष ध्यान देना चाहिये ।

श्रीमति बिष्वा चैन्नुपति (विजयबाड़ा) : सभापति महोदय, मैं शिड्यूल्ड कास्टस कमिश्नर की रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें कहना चाहती हूँ :

अनटचेविलिटी एक सोशल स्टिग्मा भी है और सोशल प्राबलम भी है । इस लिये हमारी गवर्नमेंट ने हरिजनों की बहुत से प्रिविलेज और फैसेलिटीज दी हैं और उनके लिए कई वेलफेयर प्रोग्राम चलाये हैं । हरिजन और ट्राइबल में यह फर्क है कि हरिजन पर अस्पृश्यता का सोशल स्टिग्मा भी होता है, इस लिए हमें उन लोगों को ज्यादा मदद देनी चाहिए ।

इस प्राबलम के दो एसपेक्ट्स हैं । सोशल और इकानोमिक । जहाँ तक सोशल एसपेक्ट का सम्बन्ध है, अनटचेविलिटी सिर्फ हिन्दू रिजिजन में होती है । यह सोशल स्टिग्मा कैसे दूर किया जाये, उसके लिए इन्टर-कास्ट मरिजिज, इन्टर-डाइनिंग, मिससड हाउसिंग कालोनी और मिससड होस्टल को प्रोत्साहन देना चाहिए ।

हमारे देश में अगर कोई इन्टर-कास्ट मरिजिज करता है, तो उसे कुछ मानिटरी बनिफिट दिया जाता है । ग्राम्य प्रदेश में अगर इन्टर-कास्ट मरिजिज करने वालों में से एक हरिजन है, तो उन्हें एक हजार रुपये दिया जाता है । लेकिन चूँकि हमारे समाज में हरिजन लोगों पर सोशल स्टिग्मा है, इस लिए यह एक हजार रुपए की रकम काफी नहीं है । जो व्यक्ति किसी ग्रहूत से मरिजिज करता है, उसको समाज से बहिष्कृत किया जाता है । इस लिए ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जाब या सलफ-एम्प्लायमेंट की सुविधायें देनी चाहिए और उनके लिए सोशल सिक्युरिटी मैसर्ज लेने चाहिए ।

अनटचेविलिटी न सिर्फ हमारे समाज में है, बल्कि स्वयं ग्रहूत लोगों में भी अनटचेविलिटी है । इन्टर-डाइनिंग प्रोग्राम से लोगों के विचारों में परिवर्तन किया जा सकता है और इस तरह अनटचेविलिटी को मिटाया जा सकता है ।

सोशलों के सोशल एटीच्यूड को चेज करने के लिए मिक्सड हाउसिंग कालोनीज को प्रोत्साहन देना चाहिए । इससे लोगों को लिविंग हैबिट्स भी बदल जायेंगी । इससे भी अनटचेविलिटी को खत्म करने में सहायता मिलेगी । ग्राज-कल गवर्नमेंट हाउस या प्लाट कास्ट के ग्राधार पर एलाट करती हैं । हरिजनों और ट्राइबल लोगों को अलग अलग जगह एलाटमेंट की जाती है इससे कास्ट सिस्टम खत्म नहीं हो सकता है । कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए एलाटमेंट में साटरी सिस्टम की इंट्रोड्यूस किया जाये, ताकि सब कास्टस के लोगों की एक ही जगह रहने का अवसर मिले । इस तरह हम सोसाइटी को चेज कर सकते हैं और अस्पृश्यता को खत्म कर सकते हैं ।

जब हम हाउसेज उनको देते हैं तो ऐसा होता है कि ड्रिफिंग वाटर की फैसेलिटीज उन को नहीं देते ।

मेरा यह कहना है कि हाउसिंग प्लाट देते समय ही उन को ड्रिफिंग वाटर भी देना चाहिए, उसी समय उन को एलेक्ट्रिसिटी और रोड फैसेलिटीज भी देनी चाहिए । नहीं तो मेरे अनुभव में यह आया है कि जब उन को पीने का पानी नहीं होता है तो व उन हाउसेज में नहीं रहते हैं । इसलिए पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी और रोड फैसेलिटीज उन को अवश्य उसी समय देनी चाहिए ।

गवर्नमेंट को रीजीनेसियल स्कूल इंट्रोड्यूस करना बहुत आवश्यक है जिस में उन को जो हैबिट्स हैं उन को बदला जा सके । जब रीजीनेसियल स्कूल होता है तो उसमें सब लोग मिल कर रहते हैं और उस से उन की हैबिट्स निकल जाती हैं और उन का माइंड भी चेज हो जाता है ।

There is a Change in the minds of the children also.

इस के लिए मिक्सड होस्टल होने चाहिए और ब्याज और गर्ल्स के अलग अलग होने चाहिए ।

It is essential to change the mind of the society also.

एजुकेशन जो होती है उस में बोकेशनल एजुकेशन ज्यादा उन लोगों को देनी चाहिए ? बोकेशनल एजुकेशन से उन के बच्चों को तुरन्त काम मिलता है । इसलिए बोकेशनल एजुकेशन उन को देने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

प्रोबेशन-कम-ट्रानिंग सेटर भी उन के लिए रखने चाहिए । उसमें उन की मार्काटिंग को जो प्रोबलम होती है उन को गवर्नमेंट को अपने ऊपर लेना चाहिए, नहीं तो वे मार्काटिंग नहीं कर सकते हैं यह मैंने अनुभव किया है ।

इन लोगों से कास्ट सर्टिफिकेट हर साल मागते हैं । यह हर साल नहीं मागना चाहिए । इस बार जब यह एग्जामिनेशन देते हैं उस वक्त उन से वह ले सकते हैं, हर साल नहीं लेना चाहिए ।

लोन सिस्टम हमारे यहाँ ऐसा है कि कुछ डिस्ट्रिक्टस फारवर्ड डिस्ट्रिक्टस हैं और कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टस है, तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टस में जब लोन देते हैं तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइबल के लोगों को तो रेट आफ इंटरेस्ट कम होता है और फारवर्ड डिस्ट्रिक्टस में जब उन को लोन देते हैं तो वह ज्यादा इंटरेस्ट पर देते हैं । मैं यह कहना चाहती हूँ कि ये हरिजन और ट्राइबल जहाँ जहाँ भी रहते हैं वह तो सब बैकवर्ड ही होते हैं । फारवर्ड जिले में रहें या बैकवर्ड जिले में रहें उन का एटीच्यूड तो बैकवर्ड ही रहता है, इसलिए दोनों जगहों में जो इंटरेस्ट के रेट में अंतर होता है उस का निकालना चाहिए क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं तो वे पे नहीं कर सकते हैं ।

There must be general policy to give loans to the people living in backward areas or in forward areas at the same rate of interest.

इंटरैस्ट की कौन्स भी उन को ज्यादा दिया जान चाहिए। इस से उन को काफी फाइनेंशियल ऐडा मिस जाती है। वह जो उन को सबसिडी देते हैं, ज्यादा इंटरैस्ट उस पर रखते हैं तो उस का कोई उपयोग उन के लिए नहीं होता है।

यह जो कास्ट सिस्टम है इस को हम एबालिश करना चाहते हैं। ग्रनटेचविलिटी एक सोशल स्टिग्मा है, यह समाज के डबपलमेंट में एक हिड्डस है, इस को हमें निकालना है।

शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइबस कमीशन ने 25 रिपोर्टें भ्रम तक दी हैं। उन पर हाउस के फ्लोर पर बहुत डिस्कशन भी हुआ है मगर जब भी कमीशन से रिपोर्ट रिकमेंड होती है तो उस पर पूरी तरह एक्शन नहीं होता है।

I personally feel that the suggestions of the Commission's Report should be mandatory and not recommendatory.

वह जो सभी रिकमेंड करते हैं उसे मंडटरी करना है। मंडटरी न होने से रिपोर्ट आती है, लोग पढ़ते हैं, उन पर डिस्कशन हो जाता है और बाकी कुछ हम उस का उपयोग नहीं करते हैं। उस को फिर एसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और उसपर भ्रमल करना चाहिए। इंटर-कास्ट मरिजज में स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए और जो बच्चे हों उनके लिए भी स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। समाज में जो सोशल स्टिग्मा है उसको निकालना चाहिए। तभी हम समाज से ग्रनटेचविलिटी को मिटा सकते हैं। समाज में जो कास्ट सिस्टम है उसको मिटाना होगा। हमारा एम यही हो हमें समाज से ग्रन टेचविलिटी को निकालना है। गांधी और सरकार का ध्येय था समाज से ग्रनटेचविलिटी को निकालना। केवल एकोनामिक अपलिफ्टमेंट करना ही हमारा ध्येय नहीं है। पहले समाज से ग्रनचविलिटी को निकालना है। वे सभी मानव हैं—यह ब्राह्मडिया उनमें आना चाहिए और समाज में भी यह ब्राह्मडिया पैदा होना चाहिए।

SHRI MAGANBHAI BAROT (Ahmedabad): Mr. Deputy-Speaker, Sir, today while discussing this Report, let us address to ourselves a social question concerning our brethren and sisters, the Adivasis and the Harijans. As long as our history is known, as long as our legends are known, it is said that there is a price being paid, a penalty being suffered, by the Adivasis of this country because the great poet, Valmiki, saw an Adivasis killing a bird and immediately a sloka was uttered by him:

मा निषाद प्रतिष्ठाम मनु ब्वासान सना :
येन क्वचि मियुनान . . .

SHRI R. K. MHALGI (Thane): You are speaking on the eve of Ramnavami.

SHRI MAGANBHAI BAROT: I am obliged to my friend for reminding me that I am speaking on the eve of Ramanavami.

The sloka says, 'For generation, Oh! you Adivasi, Oh, you Nishad, do not get the prestige back'. It appears that, though thousands and thousands of years have passed, the prestige, the *pratishta*, has not come back to our brethren for whom we are so much agitated in this House today. I would simply make this request to every hon. Member of this House as the representative of the people: kindly, spare time to study, at least once, the book of Dr. Ambedkar: *The Untouchables, How and When They Became*.

Sir, do we ever ask ourselves this question that today we live in a society where there is a class of people, human beings living in flesh and blood, the same colour, the same complexion, and yet are being treated in a different way as the Jews were being treated in the concentration camps in Germany? Do we ever address to ourselves this question why in a village the Harijans are asked to live away at the end of the village? I request the hon. Minister, Mr. Yogen-dra Makwana, and Mr. Ram Vilas to consider this. Have we at least addressed to ourselves this question why in the villages today the dead bodies of animals are being dragged by the living Harijans? Have we ever asked this question to ourselves? Have we been able to solve this problem? Have we been able to stop this at least—a living man dragging the dead body of an animal? Why do we allow it? What right do we have then today to talk about social reforms? What right have we to talk about social revolutions so long as, with all the power at our command,

[Shri Maganbhai Barot]

we are not able to do this minimum thing, this human thing, to our brethren and sisters living in villages, the Harijans and the Adivasis? I say, before this Commission's report is discussed day by day, let the government take a decision Sir, we distribute tractors to the villagers. We give loans from the banks. We provide these facilities to the farmers in the villages. Can we not attach a condition that a man who shall be given a tractor, shall be duty-bound that if an animal is dead in the village, at least the tractor will be made available for transporting it from the house of the farmer to the field. I request, let us not talk too much and too high on this subject. The subject is beyond our capacity. If I may say so, in my humble way, a great man was born. His name was Dr. Ambedkar. He was the true leader of the Harijans who injected the spirit of revolution in their minds. But it was his misfortune that he was born at a time when the great banyan tree of Gandhiji was there and the sapling of Ambedkar did not grow up and the revolution stopped. Sir, we, under the leadership of Gandhiji, promised that we shall treat them as equals. Gandhiji undertook the fast. What happened? We forgot. We forgot the promises given by Gandhiji to the Harijans with the death of Gandhiji. Sir, it is time we revive it.

I remember an incident. It was in the Gujarat State Assembly. We were discussing the problem of ceiling on lands and the question was how much land shall be the minimum land under the ceiling and the economic area. One of our brethren, Shri Uttamrao Patil, an Adivasi gentleman and now an hon. Member of this House raised the point. "Whose lands are submitted and surrendered for your river valley projects? All that belongs to the Adivasis who are living in the jungles and forest lands. You uproot them and have your river valley projects and the benefits of

the river valley projects go to the kulaks of this country.' Have we any answer to that? Let us find an answer. We only take from them and we do not give anything to them. Sir, the time has come when we will have to consider it—the caste history, the commonalities and the hierarchical caste system. We talk a lot. What is the answer? The answer lies—I know it. I am a lawyer. I have defended a few cases of Harijan friends. I have defended the case of a Harijan young man who married a Brahmin girl. Let me tell you my experience. I had to make application to the court that the girl was not kidnapped but she voluntarily married the boy and he would not get a fair trial in the course where the case was to be conducted. I made the request and the High Court transferred the case from the sessions court to another court. Here is the situation of the society where a young man married to a young girl, voluntarily married, is facing a trial of kidnapping the girl and he does not have even the protection of a fair trial in our courts

Sir, I respectfully submit, here is a subject on which, I am sure, there are no party differences. Here is a question which is social, political and economical. Please therefore, consider a few things. In my town of Rajkot, even to-day our Vangi brothers are carrying dead bodies of animals on their heads. Stop it. Gandhiji's anniversary we have celebrated. Stop this dragging of animals. At least start with it if the Commission's report is to be given any value. I respectfully submit, Sir, the society needs a basic thing. I am a lawyer. I speak from my experience. I am Adviser to the Scheduled Castes Workers Union in my town called, Ahmedabad. I know, Sir, in the Municipal Corporation the roster system is never adopted. Let the Government tell how many of our Judges are Harijans. How many topmost

lawyers and how many topmost engineers are Harijans? How many high functionaries are Harijans and Adivasis? They are not.

I know a case which I would place before the House. I was Minister of Education. A case came to my knowledge. An adivasi teacher, by bribe, got a promotion to be a Principal. What happened? He had 20 years' experience. But the hierarchy, the establishment did not want him to be promoted. You know what happened? They made an allegation that that man has a bad character and, therefore, he does not deserved to be Principal. If a Harijan or an Adivasi is required to be promoted, his character certificate becomes one of bad character. I, Sir, am not boasting of it.

I got the departmental examination made and I proved that a false allegation was made in the entire case. So, let us not only talk about the remo-

val of the entire social prejudice from our caste and community. Let us do one thing; let us treat these humanbeings as humanbeings.

I request Shri Makwana—I can only request through him—and I request my great leader, Shrimati Indira Gandhi because in her lies the faith of this community and in her lies the faith of this nation that before this Commission's report is implemented, kindly stop this carrying of dead animals by these humanbeings called the Harijans.

I thank you, Sir.

Mr. Chairman: The House stands adjourned to meet tomorrow at 11 A.M.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 21, 1980/Chaitra 1, 1902(Saka).